रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद और

635

औद्योगिक अनुसंधान (सी. एस. आई. आर.)(अजय तिवारी, जे.)

समक्ष**अजय तिवारी जे.**

रमनदीप कौर-याचिकाकर्ता

बनाम

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(सीएसआईआर)-प्रतिवादी

2017 का सीडब्ल्यूपी No.8015

28 सितंबर, 2017

(क) भारत का संविधान, 1950-कला।14 और 226-भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस. आई. आर.) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.)-एक प्रश्न के लिए निर्धारित गलत उत्तर-याचिकाकर्ता ने गलत उत्तर से मेल नहीं खाते हुए सही उत्तर दिया-विशेषज्ञों के समूह ने सिफारिश की कि पेपर सेटर द्वारा निर्धारित सही विकल्प गलत थे-सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और संशोधित परिणाम जारी किया गया-इस परिवर्तन के साथ याचिकाकर्ताओं के कुल अंक 10.825 से कम हो गए-अगर उनके विकल्पों को सही के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता तो वह 8.25 अंकों की हकदार होती-क्योंकि उन्हें गलत माना गया था क्योंकि नकारात्मक अंकन के कारण उनके विकल्प निर्धारित सही उत्तर से मेल नहीं खाते थे जिसे अन्यथा विशेषज्ञों द्वारा गलत घोषित किया गया था-क्या उम्मीदवार को गलती के लिए दंडित किया जा सकता है।– पेपर सेट करने वाले मूल विशेषज्ञों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है-पेपर सेटर

द्वारा सामान्य रूप से सही के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रमुख उत्तरों को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए-जहां अनियमितता ध्यान में आती है, आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं और मामले को स्वतंत्र विशेषज्ञों को भेजा जाता है-मूल पेपर सेटर संबद्ध होना चाहिए और आपत्तियों का जवाब देने का कर्तव्य और अधिकार है जो स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी भेजा जाना चाहिए-उत्तर कुंजी पर सभी आपत्तियों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को उस पर क्रॉस आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया जाना चाहिए-यह सुनिश्चित करना प्रत्येक परीक्षा निकाय का कर्तव्य होगा कि इस संबंध में चूक करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाए-सुझाए गए सुरक्षा उपायों के बाद जो प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करेंगे और सभी संबंधित लोगों के विचार रखने के बाद उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

आयोजित किया किः

i) यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्राप्त आपत्तियों को भी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए और एक समय सीमा के भीतर क्रॉस आपत्तियां आमंत्रित की जाएं।यह आवश्यक है क्योंकि जिस तरह विरोध करने वालों को यह दिखाने का अधिकार है कि उत्तर का निर्धारित प्रश्न कैसे और क्यों गलत है, उसी तरह जिन छात्रों ने उत्तर कुंजी के अनुसार इसका उत्तर दिया है, उन्हें यह दिखाने का अधिकार है कि निर्धारित प्रश्न/उत्तर सही है।

636

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

ii) यह मूल पेपर सेटर/ओं का कर्तव्य होना चाहिए कि वे उसी समय अवधि के भीतर आपत्तियों का जवाब दें और फिर आपत्तियों, क्रॉस-आपत्तियों और पेपर-

सेटर/ओं के जवाब को स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिए जिन्हें आपत्तियों से निपटना है।

iii) परीक्षा निकायों को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी में अनुमत स्तर की गलतियों को निर्धारित करना चाहिए और उन परीक्षकों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो निर्धारित स्तर की गलतियों का उल्लंघन करते हैं।

(पैरा 27) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी को अब सभी परीक्षकों को एक ई-मेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार की गई आपत्तियों को वेबसाइट पर रखा जाएगा और आगे परस्पर आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।मूल पेपर-सेटर्स को भी आपत्तियों का जवाब देना होगा।इसके बाद पूरी सामग्री को स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक अलग समूह को भेजा जाएगा जो तब प्रश्नों/उत्तरों की शुद्धता और किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर अपनी राय देंगे और उसके बाद संशोधित परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।मुझे सूचित किया गया है कि इसी तरह की परीक्षा जून, 2017 में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम की प्रतीक्षा है।इस आदेश के पिछले पृष्ठ पर (i) और (ii) के रूप में क्रमांकित वस्तुओं में विस्तृत इस अभ्यास को उस परीक्षा के लिए भी आयोजित करना होगा।गलती के अनुमेय स्तर के प्रिस्क्रिप्शन और उन परीक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रकृति के बारे में निर्देश जो गलतियों के निर्धारित स्तर का उल्लंघन करते हैं, भविष्य की परीक्षाओं के लिए लागू होंगे।(पैरा 29)

(ख) भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 14 और 226-शारीरिक विज्ञान के विषय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस. आई. आर.) द्वारा आयोजित कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और व्याख्याता के लिए शिक्षा-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.)-हालांकि सही उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को पेपर सेटर द्वारा निर्धारित गलत प्रमुख उत्तरों के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए-यदि वे गलती

को हटाने पर पुनर्मूल्यांकन पर रैंक प्राप्त करते हैं तो प्रवेश के हकदार हैं, साथ ही गलत उत्तर कुंजी से चुने गए विकल्पों के आधार पर भी उच्च रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पीड़ित नहीं किया जा सकता है-उनके परिणाम केवल अनियमितता को हटाने पर संशोधित परिणाम के आधार पर रद्द नहीं किए जा सकते हैं और उन्हें संरक्षित करना होगा।

अदालतों ने इस पहलू पर विचार किया है और कहा है कि जिन छात्रों ने इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उन्नयन किया होगा, उन्हें उनके उन्नयन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है और उन सभी उम्मीदवारों को भी संरक्षित किया है जिन्होंने बाद में इस आधार पर एक गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया हो सकता है कि उन्हें परीक्षा निकाय की गलती के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 30)

सोमनाथ सैनी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद और

637

औद्योगिक अनुसंधान (सी. एस. आई. आर.)(अजय तिवारी, जे.)

निमरता शेरगिल, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

अजय तिवारी, जे. (मौखिक)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग कर रहा है कि वह याचिकाकर्ता के प्रश्न Nos.44 और 71 के उत्तर

को सही माने और संयुक्त सीएसआईआर-नेट दिसंबर, 2016 की आधिकारिक उत्तर कुंजी पुस्तिका-बी में उत्तर कुंजी में बाद में किए गए परिवर्तन को ध्यान में न रखे।

(2) स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता (जो एप्लाइड फिजिक्स के विषय में एम. एससी है) ने शारीरिक विज्ञान के विषय में दिसंबर, 2016 में प्रतिवादी-सी. एस.आई.आर. द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जे. आर. एफ.) और लेक्चरशिप के लिए पात्रता (एन. ई. टी. परीक्षा) के लिए आवेदन किया था।उन्होंने 67 अंक (33.50%) प्राप्त किए जो 75.76 अंकों (37.88%) से कम थे, जे. आर. एफ. की अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ और 68.18 अंक (34.09%), लेक्चरर की अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ।यह विवाद दो प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में उत्पन्न हुआ है, अर्थात पुस्तिका बी के प्रश्न No.44 और प्रश्न No.71।

(3) परीक्षा के संचालन के बाद प्रतिवादी ने अपनी वेबसाइट पर उत्तर कुंजी (जैसा कि मूल विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया गया था जिन्होंने पेपर सेट किया था) अपलोड की और उस उत्तर कुंजी के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा चिह्नित किए गए विकल्प सही थे।इसके अलावा, प्रथा के अनुसार, प्रतिवादी ने उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित कीं और इन दो प्रश्नों (अन्य के साथ) के संबंध में स्पष्ट रूप से आपत्तियां प्राप्त हुईं।इन आपत्तियों को विशेषज्ञों के एक अलग समूह को संदर्भित किया गया था जिन्होंने सिफारिश की थी कि मूल रूप से सही के रूप में निर्धारित विकल्प वास्तव में गलत थे।इन सिफारिशों को स्वीकार कर

लिया गया और संशोधित परिणाम जारी किए गए।परिणाम में इस परिवर्तन के साथ याचिकाकर्ता के कुल 10.825 अंक कम हो गए।ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसके विकल्पों को सही के रूप में स्वीकार किया जाता तो वह 8.5 अंकों की हकदार होती और क्योंकि उन्हें गलत माना गया था; उसने नकारात्मक अंकन के कारण एक और 2.325 अंक खो दिए।अगर उन्हें यह नुकसान नहीं हुआ होता तो वह जे. आर.एफ. और लैक्चरारदोनों की श्रेणी के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती।वर्तमान याचिका के माध्यम से उन्होंने उत्तर कुंजी में इस परिवर्तन को चुनौती दी है जिसने ऊपर बताए गए उनके पूर्वाग्रह पर काम किया है।

(4) प्रतिवादी का रुख यह है कि यह देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय R&D अनुसंधान एवं विकास संगठन है और इसने की इस विधि को तैयार किया है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

मूल्यांकन 'उम्मीदवारों को न्यायाधीश सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के संचालन के अपने तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से'।इसने अपनी वेबसाइट पर उत्तर कुंजी प्रदर्शित करने/अपलोड करने और प्रश्नों या उत्तर कुंजी से संबंधित विसंगति से संबंधित उम्मीदवारों से अभ्यावेदन/आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रणाली को अपनाया है।इसके अलावा प्राप्त अभ्यावेदनों पर परिणामों को अंतिम रूप देने से पहले विधिवत विचार किया जाता है।याचिकाकर्ता ने एक प्रतिकृति भी दायर की

है।प्रतिकृति के साथ याचिकाकर्ता ने प्रोफेसर डब्ल्यू. ए. जैज्क, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में भौतिकी के आई. आई. रबी प्रोफेसर हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, भौतिकी विभाग के प्रोफेसर सुबीर सरकार से प्राप्त राय को संलग्न किया है, जिनकी राय के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर वास्तव में सही थे।प्रोफेसर डब्ल्यू. ए. जैज द्वारा दिए गए उत्तर को चित्रण के माध्यम से नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"ई-मेल दिनांक 22.06.2017 सुबह 4.24 बजेः

इसे एक साथ मोमेटम और ऊर्जा की बचत करने के लिए चार-वैक्टर का उपयोग करके सबसे अच्छा हल किया जाता है।मान लीजिए कि k फोटॉन चार-सदिश = (k, 0,0, k) है, इसलिए k भी इसकी ऊर्जा है।न्यूनतम फोटॉन ऊर्जा m _ 3 और m _ 1 को उनके द्रव्यमान प्रणाली के केंद्र में छोड़ देती है।अतः उन इकाइयों में जहाँ c = 1, चार-सदिश समीकरण है।

ई-मेल दिनांक 26.06.2017 सुबह 3.32 बजेः

सही उत्तर के लिए इसद्वारा से काम करने के लिए बधाई।मैंने भी 19.5 (6) एम. ई. वी. की गणना की। चूँकि यह इनपुट डेटा को देखते हुए सीधे तरीके से प्राप्त किया गया है, यह सही है, और सभी विकल्प तकनीकी रूप से गलत हैं।मुझे लगता है कि लेखकों ने ऊर्जा और गति को अलग से संरक्षित करके अपने उत्तर की गणना की, और कुछ संख्यात्मक राउंड-ऑफ त्रुटियां कीं, जिससे वे 19.3 एमईवी तक पहुंच गए, जो आखिरकार सही उत्तर के एक प्रतिशत या उससे अधिक के भीतर है।"

(5) इस प्रकार जो स्थिति सामने आई है, वह यह है कि पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों के पहले समूह और एक ओर अंतिम दो उल्लिखित विशेषज्ञों और दूसरी ओर जिन विशेषज्ञों को प्रतिवादी द्वारा अभ्यावेदन भेजा गया था, उनकी विवादग्रस्त दो प्रश्नों पर अलग-अलग राय है।याचिकाकर्ता का दावा है कि अलग-अलग राय को देखते हुए यह कम से कम स्पष्ट है कि प्रश्नों में कुछ दोष थे, क्योंकि कोई स्पष्ट स्पष्ट एकल उत्तर नहीं था।नतीजतन, यह प्रार्थना की जाती है कि इन दोनों प्रश्नों को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद पूरे परिणाम पर फिर से काम किया जाए।

रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद और

639

औद्योगिक अनुसंधान (सी. एस. आई. आर.)(अजय तिवारी, जे.)

(6) इस परीक्षा की आवश्यक प्रासंगिक विशेषताएं इस प्रकार हैं:- "मानव संसाधन विकास समूह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सी.एस.आई. आर.-अनुसंधान अनुदान अनुसंधान अध्येतावृत्ति और सहयोग

सामान्य

1. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस. आई. आर.) के एच. आर.डी.समूह के तहत ई. एम.आर.विभाग विश्वविद्यालय के विभागों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सी.

एस.आई.आर.के संस्थानों में काम करने वाले संकाय सदस्यों/वैज्ञानिकों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में उज्ज्वल युवा पुरुषों और महिलाओं को अनुसंधान के तरीकों में प्रशिक्षण के लिए सी.एस.आई.आर.अनुसंधान अध्येतावृत्ति और सहयोग प्रदान करता है।सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

2. सी. एस.आई.आर. अध्येतावृत्तियां/एसोसिएटशीप/आई. आई. टी./स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों में मान्य हैं, जिनमें सी. एस.आई. आर., मान्यता प्राप्त सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, औद्योगिक फर्म और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।हालाँकि, सी. एस.आई.आर. के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है जिसमें पुरस्कार विजेता को विशेषज्ञता प्राप्त करनी है।

3. सी. एस.आई.आर. अध्येतावृत्ति/एसोसिएटशीप भारत में मान्य हैं।केवल भारत में रहने वाले प्रामाणिक भारतीय नागरिक ही शोध अध्येतावृत्ति/सहयोगीता के पुरस्कार के लिए पात्र हैं।इस कार्यक्रम का उद्देश्य S&T विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास है।

4. सी. एस.आई.आर.फेलोशिप/एसोसिएटशिप का पुरस्कार निश्चित कार्यकाल के लिए है और इसका मतलब लाभार्थी को सी.एस.आई.आर.द्वारा बाद में रोजगार के लिए कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है।पुरस्कार देने/समाप्त करने का अधिकार सी.एस.आई.आर. के पास

है। फेलोशिप/एसोसिएटशिप की समाप्ति के बाद पुरस्कार विजेता सीएसआईआर में स्थायी रूप से शामिल होने का दावा नहीं करेगा।

5. शोध का विषय

प्रासंगिक शोध के विषय/प्रसंगको वरीयता दी जाती है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण एस एंड टी क्षेत्रों के अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए।

6. सीएसआईआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ)

सी.एस.आई.आर.द्वारा वर्ष में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.) में उत्तीर्ण होने के बाद, सी.एस.आई.आर.द्वारा बी.एस.-4 वर्ष कार्यक्रम/बी.ई./बी. टेक./बी. फार्मा/एम.बी.बी. एस./इंटीग्रेटेड बी. एस.-एम. एस./एम. एस.सी.या समकक्ष डिग्री/बी.एस.सी.(ऑनर्स) या समकक्ष डिग्री धारकों या सामान्य और ओ. बी.सी.(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत, शारीरिक और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए) के लिए कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एकीकृत आई.डी.1 कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को हर साल बड़ी संख्या में जे.आर.एफ. प्रदान किए जाते हैं।

स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार, चाहे वे विज्ञान, इंजीनियरिंग या कोई अन्य विषय हों, दो साल की वैधता अवधि के भीतर Ph.D/integrated

Ph. D. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत/नामांकित होने के बाद ही फेलोशिप के लिए पात्र होंगे।

एम.एस.सी. के लिए नामांकित उम्मीदवार या उपरोक्त योग्यता परीक्षा के 10+2 + 3 वर्ष पूरे करने वाले उम्मीदवार भी परिणाम प्रतीक्षा (आर. ए.) श्रेणी के तहत उपरोक्त विषय में आवेदन करने के पात्र हैं।

7. आवेदन प्रक्रिया

जे.आर.एफ.-एन. ई. टी. के लिए प्रवेशविज्ञापन द्वारा से अखिल भारतीय आधार पर वर्ष में दो बार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी एचआरडीजी वेबसाइट (www.csirhrdg.res.in) पर भी उपलब्ध कराई गई है।

8. आयु सीमा

जे.आर.एफ.पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष होगी, जिसमें अनुसूचीत जाति/अनुसूचीत जनजाति/ओ. बी. सी., शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिबाधित और महिला आवेदकों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है।

9. चयन प्रक्रिया

जे.आर.एफ.के पुरस्कार के लिए चयन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.) नामक एक प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जो सी.एस.आई.आर. द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार निम्नलिखित

क्षेत्रों में आयोजित की जाती है (1) रसायन विज्ञान (2) पृथ्वी, रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक और तकनीकी परिषद

वायुमण्डल, महासागर और ग्रह विज्ञान (3) जीवन विज्ञान, (4) गणितीय विज्ञान, (5) भौतिक विज्ञान और (6) अभियांत्रिकी विज्ञान।जून 2011 से, सी.एस.आई.आर.ने एकल एम.सी.क्यू. (बहुविकल्पीय प्रश्न) पेपर आधारित परीक्षा शुरू की है जिसमें तीन भाग शामिल हैं।भाग-ए सामान्य विज्ञान और अनुसंधान योग्यता पर प्रश्न वाले सभी विषयों के लिए समान होगा।भाग-बी में विषय से संबंधित पारंपरिक एमसीक्यू होंगे और भाग-सी में उच्च मूल्य के प्रश्न होंगे जो वैज्ञानिक अवधारणाओं और/या वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुप्रयोग के बारे में उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं।गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है।फेलोशिप योग्यता डिग्री परीक्षा, शोध कार्य के प्रस्तावित स्थान, शोध विषय, पर्यवेक्षक का नाम और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संस्थान की सहमति के आवश्यक विवरण की प्राप्ति पर प्रदान की जाती है।जे. आर.एफ. पुरस्कार के प्रस्ताव की वैधता दो साल है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

18. सम्मान और उपहार जारी करने का पुरस्कार

फेलोशिप चयनित आवेदकों को एक औपचारिक पत्र द्वारा प्रदान की जाएगी जिसमें अनुदान और इसे नियंत्रित करने की शर्तों का विवरण विश्वविद्यालय/संस्थान को सूचित किया जाएगा, जो उनके आवेदनों को अग्रेषित करता है।पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तिथि से जे. आर.एफ.के मामले में दो साल के भीतर और एस.आर. एफ./आर. ए. के लिए छह (6) महीने के भीतर प्रस्ताव का लाभ उठाया जाना चाहिए।वित्त अधिकारी/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VI) में दावा बिल पेश करने पर वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान राशि का भुगतान चार किश्तों (तिमाही आधार पर) में किया जाता है।पहला भुगतान (किश्त) पुरस्कार पत्र में उल्लिखित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, संस्थान के कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा विधिवत अग्रेषित गाइड द्वारा से किया जाएगा, जिसके पक्ष में अनुदान जारी किया जाना है। अवधि के लिए निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-IV) में अनुसंधान व्यक्तिकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही बाद के वार्षिक भुगतान (तिमाही आधार पर) किए जाएंगे।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

31 मार्च को समाप्त होने वाली और पिछली एक वर्ष की रिपोर्ट, (बी) उपयोग प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-IX), और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त रसीद और भुगतान (खातों का विवरण)

(अनुलग्नक-X) का विवरण, संबंधित संस्थान से अगले वित्तीय वर्ष के लिए दावा बिल के साथ।प्रायोजक संस्थान/विश्वविद्यालय अध्येता को वजीफे के भुगतान के लिए और बाद के वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति में शामिल होने पर आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम धन दे सकता है, जिसे अध्येतावृत्ति के लिए सी. एस.आई.आर.से अनुदान प्राप्त होने पर बाद में समायोजित किया जा सकता है।फेलोशिप/एसोसिएटशिप के लिए सी.एस.आई.आर.द्वारा जारी अनुदान पर संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अर्जित पहले के भुगतान और ब्याज की बिना खर्च की गई राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में सी.एस.आई.आर. को वापस करना होता है या भुगतान के लिए नए दावे करते समय समायोजित करना होता है।शोध अध्येता के लिए अनुदान प्राप्त संस्थान (अनुलग्नक-VII) द्वारा खातों को बहीखाता प्रकार प्रणाली पर बनाए रखा जाना चाहिए।विश्वविद्यालय/संस्थान अनुदान के उचित उपयोग और सी. एस.आई.आर.-एच. आर.डी. समूह को लेखा देने के लिए जिम्मेदार होगा।"

(7) 'परीक्षा न्यायशास्त्र' की शैली एक हालिया घटना है और वर्तमान मामले में हम मुख्य रूप से विद्या सम्बन्धी परीक्षाओं के विपरीत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं।40 साल पहले तक भी कोई भी इस तरह की परीक्षाओं के लिए दिए गए अंकों या प्रश्नों/उत्तरों को चुनौती नहीं देता था।दिलचस्प बात यह है कि आज भी हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, भारतीय प्रबंधन संस्थान या विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और कई अन्य लोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है और यह उनकी व्यावसायिकता और

विशेषज्ञता के लिए एक श्रद्धांजलि है जितना कि यह अन्य परीक्षा निकायों में इन विशेषताओं की कमी पर एक प्रतिबिंब है जो इस अंक पर चुनौतियों की बढ़ती बाधा का सामना करते हैं।इस स्तर पर, इन मुद्दों पर दिए गए सभी न्यायिक निर्णयों की समीक्षा शुरू करना अनुचित नहीं होगा ताकि यह निर्धारित करने का प्रयास किया जा सके कि क्या यह न्यायशास्त्र सामयिक है, अर्थात यह कहने के लिए कि क्या निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किए गए हैं या क्या न्यायालय किसी पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाली संरचना का निर्माण करने में समर्थ हैं जो कुछ अति-व्यापक कानूनी सिद्धांतों की ओर ले जा सकते हैं।एक अलग संदर्भ में, तेजिंदर के मामले में यह अदालत

सिंह @तेजा बनाम पंजाब राज्य और अन्य, सी.आर. एम.-एम.-21934-2015 में पारित, 17.03.2016 पर निर्णय लिया गया है जिसे निम्नलिखित**रूप में देखा गया है।**

643

औद्योगिक अनुसंधान (सी. एस. आई. आर.)(अजय तिवारी, जे.)

निम्नलिखित हैः-

“तर्क की एक पंक्ति यह है कि जमानत का मामला विवेकाधीन होने के कारण, गैर-जमानती अपराधों में न्यायालय समाज और अभियुक्त के प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच प्रत्येक मामले में एक न्यायसंगत संतुलन बनाएगा।तर्क की यह रेखा मेरे लिए अपनी प्रशंसा नहीं करती है।यह

प्रत्येक वकील का कर्तव्य है कि वह उस सिद्धांत को स्वीकार करने का प्रयास करे जो सभी मामलों में लागू होगा न कि मामलों को 'कुलाधिपति के पैर' पर छोड़ दे।"

(8) इस नई शाखा पर पहला और प्रमुख मामला

सर्वोच्च न्यायालय कानपुर विश्वविद्यालय का मामला कुलपति और अन्य बनाम समीर गुप्ता और अन्य 1 द्वारा से था।

27.09.1983 पर निर्णय लिया।यह उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षणिक सत्र 1983-84 के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा से संबंधित है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पैरा संख्या 1 में सवाल पूछाः"यदि कोई पेपर-सेटर अपने द्वारा निर्धारित प्रश्न के सही उत्तर का संकेत देते समय कोई त्रुटि करता है, तो क्या उस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले छात्र इस कारण से विफल हो सकते हैं कि हालांकि उनका उत्तर सही है, लेकिन यह पेपर-सेटर द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए उत्तर के अनुरूप नहीं है?पेपर-सेटर विश्वविद्यालय को सही उत्तर के रूप में जो उत्तर देता है, उसे 'प्रमुख उत्तर' कहा जाता है।कोई भी शिक्षक पर उसके द्वारा निर्धारित प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानने का आरोप नहीं लगा सकता है।लेकिन ऐसा लगता है कि, कभी-कभी, शिक्षकों द्वारा अस्पष्टता से मुक्त प्रश्नों को निर्धारित करने और उन प्रमुख उत्तरों की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है जो उचित विवाद से परे सही हैं।इन मामलों में पेपर-सेटर्स द्वारा प्रदान की गई चाबियाँ हल किए गए प्रश्नों से अधिक प्रश्न उठाती हैं।" और पैरा Nos.3 और 4 में इस प्रकार रहाः-

“3. अब तक बहुत अच्छा है।यह निर्धारित करने में अड़चन है कि सुझाए गए चार उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है।यह कर्तव्य स्वाभाविक रूप से पेपर-सेटर को सौंपा जाता है, जिसे विश्वविद्यालय को प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने की आवश्यकता होती है, जिसे 'प्रमुख उत्तर' कहा जाता है।बहुत बड़ी संख्या में उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन में शामिल कठिनाई को राज्य सरकार द्वारा परिणाम को कम्प्यूटरीकृत करके काफी सफलतापूर्वक हल किया जाता है।प्रमुख उत्तरों को कंप्यूटर में डाला जाता है और अंकन को कम्प्यूटरीकृत किया जाता है।4. इन मामलों में जो कठिनाई उत्पन्न हुई, वह कम्पयुटर की विफलता के कारण नहीं है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

जो काफी उत्साहजनक है।मनुष्य की आदत मशीन को दोष देना है।कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि पेपर-सेटर्स द्वारा दिए गए प्रमुख उत्तर गलत निकले।छात्रों को विश्वविद्यालय की उदारता से प्रमुख उत्तरों के बारे में पता चला।यदि आप चाहते हैं, तो स्पष्ट और निष्पक्ष रहें।इसलिए, इसने परीक्षण के परिणाम के साथ प्रमुख उत्तरों को प्रकाशित किया।जिन प्रतिवादीओं के नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर सही थे और प्रमुख उत्तर गलत थे।उच्च न्यायालय ने उनकी दलील को स्वीकार कर लिया है और इस तरह कानपुर विश्वविद्यालय इन अपीलों को दायर

करने आया है।'शिशियत इछेत पराजम' (अपने शिष्य से हार की कामना) का इससे अधिक स्पष्ट उदाहरण नहीं हो सकता है।लेकिन गुरुओं का कहना है कि शिष्य गलत हैं और वे जीतने के लायक नहीं हैं।"

(9) उनके अधिपतियों ने तब देखा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रश्नों पर गौर किया था और उस पर अपना विचार दिया था और अंततः इस प्रकार निर्णय दिया थाः-

"15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं।आम तौर पर, व्यक्ति इस दृष्टिकोण की ओर झुका होगा, विशेष रूप से यदि कोई पेपर सेटर और परीक्षक रहा है, कि पेपर सेटर द्वारा प्रस्तुत और विश्वविद्यालय द्वारा सही के रूप में स्वीकार किए गए प्रमुख उत्तर को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इसे प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को बिल्कुल भी प्रकाशित न किया जाए।यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के परिणाम के साथ प्रमुख उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद पैदा नहीं होता।लेकिन यह इन मामलों को देखने का सही तरीका नहीं है जिसमें सैकड़ों छात्रों का भविष्य शामिल है जो पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं।यदि इस मामले में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा जाता, तो उपचार बीमारी से भी बदतर होता क्योंकि इतने सारे छात्रों को चुपचाप अन्याय का सामना करना पड़ता।प्रमुख उत्तर के प्रकाशन ने एक दुखी स्थिति को उजागर किया है जिसका विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को समाधान खोजना चाहिए।प्रमुख उत्तर प्रकाशित करने में

उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें उन परीक्षाओं की प्रणाली पर करीब से नज़र डालने का अवसर दिया है जो वे आयोजित करते हैं।

जो विफल रहा है वह कम्पयुटर नही है लेकिन मानव प्रणाली है।

16. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित श्री कक्कड़ ने तर्क दिया कि किसी प्रमुख उत्तर की शुद्धता को तब तक चुनौती नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि यह गलत न हो।हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्य-उत्तर को सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की एक अनुमानित प्रक्रिया या तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए।इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, अर्थात, यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में अच्छी तरह से पारंगत लोगों का कोई भी उचित समूह इसे सही नहीं मानेगा।विश्वविद्यालय के तर्क को इस मामले में बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों द्वारा गलत ठहराया गया है, जिन्हें आमतौर पर उत्तर प्रदेश में छात्र पढ़ते हैं। उन पाठ्य-पुस्तकों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।

17. जिन छात्रों ने अपनी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे यू. पी. में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ किताबें निर्धारित की गई हैं और छात्रों के पास विषयों का ऐसा ज्ञान है जो उन पाठ्य-पुस्तकों में

निहित है।वे पाठ्य-पुस्तकें छात्रों के मामले का पूरी तरह से समर्थन करती हैं।यदि यह संदेह का मामला होता, तो हम निर्विवाद रूप से मुख्य उत्तर को प्राथमिकता देते।लेकिन अगर मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को ऐसा जवाब नहीं देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो मुख्य उत्तर के साथ मेल खाता है, अर्थात, एक ऐसे उत्तर के साथ जो गलत साबित होता है।"

(10) विशेष प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन और उस मामले में प्रतिवादी के प्रवेश के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"19. राहत की प्रकृति के बारे में हमारे सामने कुछ तर्क थे जो प्रतिवादी को दिए जा सकते हैं।इसका प्रतिवाद श्रीमती ने किया था। दीक्षित, जो यू.पी.राज्य की ओर से उपस्थित होते हैं, ने कहा कि छह प्रतिवादी को पहले ही बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में भर्ती कराया जा चुका है और इसलिए, उन्हें अब M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।हम 646 नहीं कर सकते।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

इस प्रस्तुति को प्रतिग्रहण नही कर सकते क्योंकि उन छात्रों ने केवल इसलिए दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया क्योंकि उन्हें M.B.B.S

पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया था।और उन्हें गलत तरीके से M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया।

20. कुल मिलाकर सत्ताईस छात्र इन कार्यवाही से संबंधित थे, जिनमें से 8 को बी. डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, 3 को पिछले साल ही M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, जो पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के स्थान पर थे और 5 इस साल प्रवेश पाने में सफल रहे हैं।प्रतिवादी में से 8 को छोड़कर, जिन्हें पहले ही M.B.B.S पाठ्यक्रम में भर्ती कराया जा चुका है, शेष 19 को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रवेश देना होगा।यदि मुख्य उत्तर गलत नहीं था जैसा कि यह निकला है, तो वे प्रवेश प्राप्त करने में सफल होते।उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठा कि प्रतिवादी को उनके द्वारा उत्तर दिए गए तीन प्रश्नों के लिए अंक कैसे आवंटित किए जाएंगे और जिनका विश्वविद्यालय द्वारा गलत मूल्यांकन किया गया था।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी को उनके द्वारा सही ढंग से चिह्नित किए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाने के हकदार होंगे, और इसके अलावा वे उन्हीं प्रश्नों के लिए 1 अंक के हकदार होंगे, क्योंकि उनके द्वारा गलत उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए उनके कुल से 1 अंक काट लिया गया था।इसे संक्षेप में रखने पर, ऐसे प्रतिवादी जिन्होंने तीन प्रश्नों का प्रयास किया है या उनमें से कोई भी प्रति प्रश्न 4 अंक जोड़ने का हकदार होगा।यदि इस सूत्र के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो प्रतिवादी M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के हकदार होंगे, जिसके बारे में कोई

विवाद नहीं है।तदनुसार, हम विशेष प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन और M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रतिवादी के प्रवेश के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पुष्टि करते हैं।"

(11) कालानुआदेशिक आदेश में अगला फैसला अभिजीत सेन का है।

और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2, पर निर्णय लिया 06.12.1983

उसी प्रवेश के संबंध में, जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय मामले (ऊपर) का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

".....यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस न्यायालय ने इसमें

स्पष्ट और स्पष्ट दृष्टिकोण है कि यदि 'कुंजी-उत्तर' (अर्थात वह उत्तर जो पेपर-सेटर ने विश्वविद्यालय को सही उत्तर के रूप में प्रदान किया है और जिसे कंप्यूटर में डाला गया है) स्पष्ट रूप से गलत दिखाया गया है।कहने का मतलब यह है कि किसी विशेष विषय में अच्छी तरह से पारंगत लोगों का कोई भी उचित समूह इसे सही नहीं मानेगा और यदि किसी छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है, यदि स्वीकार की गई पाठ्य-पुस्तकों या पुस्तकों को ध्यान में रखा जाए, जिन्हें छात्र से परीक्षा में बैठने से पहले पढ़ने और परामर्श करने की उम्मीद की जाती थी, तो छात्र को ऐसा उत्तर नहीं देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो 'प्रमुख-

उत्तर' के साथ मेल खाता हो, जो एक ऐसे उत्तर के साथ है जो गलत साबित होता है।

उनके प्रभुत्व तब निम्नानुसार बने रहेः-

“3. ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए केवल एक अपील है, जिसका नाम है कि.मी. की सिविल अपील No.4119/83। सुनीता खरे अनुमति पाने की हकदार हैं।हम लागत के अनुसार इसकी अनुमति देते हैं और प्रतिवादी को 1983 के सत्र में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश देते हैं।अन्य तीन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

(12) इन दो फैसलों के बाद इस मुद्दे के उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने से पहले एक दशक से अधिक का अंतराल था

सुभाष चंद्र वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य का मामला और

अन्य 3, लेकिन वहाँ प्रमुख उत्तरों की शुद्धता का मुद्दा कई मुद्दों में से एक था और उनके प्रभुओं ने बिना किसी सिद्धांत को निर्धारित किए उसी का फैसला किया।प्रमोद कुमार**श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग,** के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला आने से पहले नौ साल और बीत गए।

पटना और अन्य

4, लेकिन वहाँ मुद्दा यह था कि क्या कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।इसलिए, वह निर्णय हमारे लिए

उपयोगी नहीं हो सकता है।अगले साल मनीष उज्जवल का मामला सामने आया और**अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और अन्य**

5,दिनॉक 16-8-2005 पर निर्णय लिया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कम से कम छह प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से गलत था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

“8. ऐसा लगता है कि लगभग तीस हजार छात्र उपस्थित हुए

3 1995 पूरक (1) एस.सी.सी. 325

4 (2004) 6 एस.सी.सी. 714

5 (2005) 13 एससीसी 744 648

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

9 और 11 मई, 2005 के बीच आयोजित परीक्षा में।यह सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा थी और साथ ही निजी कॉलेजों में उक्त विषयों में पचास प्रतिशत राज्य कोटे के लिए भी थी, न कि शेष प्रबंधन कोटे के लिए।घोषित परिणामों और दी गई श्रेणी के आधार पर, सरकारी कॉलेजों में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली परामर्श और निजी कॉलेजों में पचास प्रतिशत राज्य कोटा पहले ही हो चुका है।यह संभव है कि छह प्रश्नों के सही प्रमुख उत्तर देकर नए मूल्यांकन का उन लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्होंने घोषित परिणामों और इन प्रश्नों के संबंध में गलत कुंजी देकर दी गई

श्रेणी के आधार पर पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।यद्यपि हमारा विचार है कि विशेष रूप से अपीलकर्ताओं और सामान्य रूप से छात्र समुदाय, चाहे किसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं, को स्पष्ट रूप से गलत प्रमुख उत्तरों के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही, यदि पहली परामर्श के परिणामस्वरूप पहले से ही दिए गए प्रवेश बाधित होते हैं, तो यह संभव है कि पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही देरी हो सकती है और पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर, 2005 से आगे जा सकती है, जो कि विनियमों में समय अनुसूची के अनुसार और इस न्यायालय द्वारा मृदुल धार (माइनर) और अन्न. बनाम. भारत संघ और अन्य में निर्धारित कानून के अनुसार है। इस दृष्टिकोण से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सही प्रमुख उत्तर देकर पत्रों के नए मूल्यांकन से उन छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने पहले से घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई श्रेणी के आधार पर पहली परामर्श के परिणामस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया है।10. उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में एक गंभीर अवैधता की है कि "यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रमुख उत्तरों में दिए गए छह प्रश्नों के उत्तर गलत और गलत थे।"जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रमुख उत्तर स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत हैं।मामले के उस दृष्टिकोण में, छात्र समुदाय, चाहे अपीलकर्ता हों या हस्तक्षेप करने वाले या यहां तक कि जिन्होंने उच्च न्यायालय या इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है।वर्तमान में, हम और कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि

रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि गलत मुख्य उत्तर देने में यह त्रुटि कैसे हुई और कौन लापरवाही कर रहा था।

उसी समय, रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद और

649

औद्योगिक अनुसंधान (सी. एस. आई. आर.)(अजय तिवारी, जे.)

हालाँकि, यह ध्यान दें आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और प्रमुख उत्तर तैयार करने वालों को बहुत सावधान रहना होगा और एक से अधिक कारणों से इन मामलों में प्रचुर सावधानी आवश्यक है।हम उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं; पहला और सर्वोपरि कारण छात्र का कल्याण है और एक गलत प्रमुख उत्तर के परिणामस्वरूप योग्यता को नुकसान हो सकता है।यदि सही उत्तर देने के बावजूद छात्र को गलत और स्पष्ट रूप से गलत मुख्य उत्तर के परिणामस्वरूप नुकसान उठाना पड़ता है, तो कोई भी अपने करियर की दहलीज पर एक युवा छात्र की दुर्दशा को अच्छी तरह से समझ सकता है; दूसरा कारण यह है कि अदालतें शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करने में धीमी होती हैं, जो बदले में, प्रमुख उत्तर तैयार करते समय विश्वविद्यालय पर अधिक जिम्मेदारी डालती हैं; और तीसरा, संदेह के मामलों में, लाभ विश्वविद्यालय के पक्ष में जाता है न कि छात्रों के पक्ष में।यदि प्रमुख उत्तर देने में लापरवाह दृष्टिकोण का यह रवैया संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है, तो गलत और स्पष्ट रूप से गलत प्रमुख उत्तरों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी

करने पड़ सकते हैं, लेकिन हम वर्तमान मामले में ऐसे निर्देश जारी करने से बचते हैं।

11. उपर्युक्त प्रवेश के लिए दूसरी परामर्श 25 अगस्त, 2005 से निर्धारित की गई है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देते हैं और उस आधार पर सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की सही संख्या निर्धारित की जानी चाहिए और उनकी श्रेणी तैयार की जानी चाहिए।यह कवायद आज से तीन चरणों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।इस प्रकार तैयार की गई सूची को जल्द ही इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा और उन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा जहां इसे पहले प्रकाशित किया गया था।राजस्थान राज्य के सरकारी कॉलेजों और निजी कॉलेजों में चिकित्सा और केंद्रीय पाठ्यक्रमों में जहां तक राज्य के कोटे का संबंध है, दूसरी परामर्श और प्रवेश सूची के अनुसार रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा जो अब विश्वविद्यालय द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा।योग्यता सूची उतनी ही संख्या में छात्रों के लिए तैयार की जाएगी जितनी पहले 22.05.2005 और 23.05.2005 पर परिणाम घोषित करते समय तैयार की गई थी।"

(13) एक और मामला जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया

उस समय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग और अन्य 6 ने 24-8-2005 पर निर्णय लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.एस. ई. की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया कि 21 में से 10 प्रमुख उत्तर गलत थे और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गएः-

"6. विश्वविद्यालय छुट्टी देने के लिए अपील कर रहा है।हमारे सामने छात्रों के दोनों समूह हैं-एक, वे छात्र जो विवादित निर्णय में निहित निर्देशों को चुनौती देने में विश्वविद्यालय का समर्थन करते हैं, और दो, वे छात्र जो सभी 200 प्रश्नों के संबंध में प्रमुख उत्तरों की पुनः परीक्षा के लिए विवादित निर्देशों का समर्थन करते हैं।उच्च न्यायालय ने उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं जो पूरे भ्रम और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं।उच्च न्यायालय ने पेपर-सेटर्स और जिन लोगों को प्रमुख उत्तरों और परिणामी कदमों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी जारी किए हैं।उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।जो पेपर सेट करते हैं और जो प्रमुख उत्तरों को अंतिम रूप देते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के उनके प्रयास की दहलीज पर युवा छात्रों का करियर दांव पर है, जहां कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है।पूछे गए प्रश्नों में दिए गए चार विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए।इसी तरह, प्रमुख उत्तरों को अंतिम रूप देने वालों की भी जिम्मेदारी होती है।यदि कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो यह कहना उनका कर्तव्य बन जाता है कि कोई भी उत्तर सही नहीं है, ताकि यदि कोई उपचारात्मक कार्रवाई की जानी है, तो उत्तरों का

मूल्यांकन करने से पहले इसे किया जाना चाहिए।यह स्पष्ट है कि इन दोनों पहलुओं पर गंभीर चूक हुई थी जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई जिसे अन्यथा टाला जा सकता है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, प्रवेश के चरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चिकित्सा पाठ्यक्रम हर साल 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और सभी परिस्थितियों में खालीसीटों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, हम उचित नहीं समझते हैं कि सभी 200 प्रश्न यह निर्धारित करने के लिए संदर्भित किए जाने के योग्य हैं कि सही जवाबक्यादेते हैं 1

6 2005(13) एस.सी.सी. 749 रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद और

इस स्तर पर, प्रमुख उत्तरों की शुद्धता के बारे में इन मामलों में अन्य प्रोफेसरों द्वारा दी गई राय का उल्लेख करना भी उचित नहीं होगा।

11. छात्र समुदाय का हित सर्वोपरि है।योग्यता हताहत नहीं होनी चाहिए।हम महसूस करते हैं कि छात्रों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जाएगी यदि हम अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को सीबीएसई और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उत्तरों के संदर्भ में उपरोक्त आठ प्रश्नों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश देते हैं जो समान

हैं और अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उत्तरों के संदर्भ में नहीं हैं।

12. एक और समस्या है, सात प्रश्नों की, जो इतने अस्पष्ट हैं कि वे सही उत्तर देने में असमर्थ हैं।अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने उन सात प्रश्नों के संबंध में प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों को श्रेय दिया है, भले ही किसी ने प्रश्नों का उत्तर दिया हो या नहीं।हमें नहीं लगता कि यह उचित मार्ग है।एक ऐसे छात्र को अंक देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है जिसने उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी नहीं किया।इस पाठ्यक्रम का मतलब यह होगा कि एक छात्र जिसने यह नहीं कहा कि सभी सात प्रश्नों को 28 अंक मिलेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के चार अंक होंगे।हमारी राय में, पालन की जाने वाली उचित प्रक्रिया केवल उन लोगों को श्रेय देना होगा जिन्होंने उक्त प्रश्नों या उनमें से कुछ का प्रयास किया।मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि जिन छात्रों ने उन प्रश्नों या उनमें से कुछ प्रश्नों का प्रयास किया, जहां तक उनका संबंध है, उक्त प्रश्नों को प्रश्न पत्र का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र उक्त सभी सात अस्पष्ट प्रश्नों का उत्तर देता है, जहां तक उस छात्र का संबंध है, तो कुल अंकों की गणना 772 में से की जाएगी, यानी 800 कम 28 और इसी तरह ऐसे प्रश्नों की संख्या के आधार पर, यदि कोई हो, छात्र द्वारा उत्तर दिए गए।सात अस्पष्ट प्रश्न भौतिकी में प्रश्न 4, रसायन विज्ञान में प्रश्न 76 और 89, वनस्पति विज्ञान में प्रश्न 147 और 148 और प्रश्न पत्र कोड ए के जीवविज्ञान में प्रश्न 156 और 163 हैं।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में निहित निर्देशों को संशोधित करते हैं और 652

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और उस आधार पर दो दिनों के भीतर छात्रों की श्रेणी तैयार करने का निर्देश दें।"

(14) आधे दशक के बाद हिमाचल प्रदेश पब्लिक का मामला

सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और अन्य 7 ने फैसला किया

25.05.2010 , सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।उस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न पूछेः-

"14. उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के विचार के लिए तीन बुनियादी प्रश्न उठते हैंः- (i) क्या न्यायालय के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह परीक्षक/चयन बोर्ड का कार्य अपने ऊपर ले और प्रश्न पत्र और उसके मूल्यांकन में विसंगतियों और विसंगतियों की जांच करे।

((ii) क्या न्यायालय के पास एक सामान्य आदेश पारित करने की शक्ति है जो पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी आधार पर एक रिट याचिका दायर करके न्यायालय जाने से रोकता है और उन्हें न्यायालय जाने के अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है, विशेष रूप से जब कुछ अन्य

उम्मीदवारों ने समान अंक प्राप्त किए थे, अर्थात, 89 और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन अदालत का रुख नहीं कर सके।

((iii) क्या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में, न्यायालय पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश दे सकता है।"

और इस प्रकार आगे बढ़ेः-

"15. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रश्न Nos.5 (a) & (b) और 8 (a) & (b) पर विचार किया है और निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः-

"हमने प्रश्न संख्या 5 (ए) और 5 (बी) के उत्तर का अध्ययन किया और पाया कि याचिकाकर्ता ने इन दोनों उत्तरों का सही प्रयास किया है और प्रश्न संख्या 5 (बी) का उत्तर उतना ही पूर्ण था जितना हो सकता था।याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्न संख्या 5 (ए) के उत्तर की तुलना में प्रश्न संख्या 5 (बी) के बेहतर उत्तर का प्रयास करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को प्रश्न संख्या 5 (बी) के उत्तर में 10 में से 6 अंक दिए गए हैं, जबकि उसे प्रश्न संख्या 5 (ए) के उत्तर में 8 अंक दिए गए हैं।इसी तरह प्रश्न संख्या 8 (ए) और 8 (बी) के उत्तर में याचिकाकर्ता ने उत्तर का प्रयास करने में बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रश्न संख्या 8 (बी) बल्कि प्रश्न संख्या 8 (बी) के उत्तर में 10 में से अंक देता है जबकि उसे प्रश्न संख्या 8 (ए) के उत्तर में 10 में से 5 अंक मिलते हैं।

16. यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि न्यायालय सांविधिक प्राधिकरणों का कार्य अपने ऊपर नहीं ले सकता है।

17. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और अन्य में। बनाम डॉ. पी.सांबशिव राव और अन्य, (1996) 7 एस.सी.सी. 499, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां तदर्थ आधार पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की राहत मांगी जाती है, न्यायालय तदर्थ यह वांछनीय नहीं है कि वह सीधे नियमितीकरण तदर्थ निर्देश जारी करे।ऐसे मामलों में उचित राहत संबंधित प्राधिकारी को नियमित नियुक्ति के लिए नियमों के अनुसार तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले पर विचार करने के लिए एक चयन समिति का गठन करने का निर्देश जारी करना है क्योंकि नियमितीकरण स्वचालित नहीं है, यह रिक्तियों की संख्या की उपलब्धता, उपयुक्तता और तदर्थ नियुक्ति की पात्रता पर निर्भर करता है और विशेष तदर्थ बात पर कि क्या तदर्थ नियुक्ति करने वाले को प्रारंभिक तिथि पर तदर्थ के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता थी और नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय, नियमों का सख्ती से पालन करना होगा क्योंकि नियमों के साथ वितरण कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।कुछ मामलों में लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की भी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

18. उड़ीसा और अन्र की सरकार में। बनाम हनीचल राय और अन्य, (1998) 6 एस. सी.सी. 626, इस न्यायालय ने उस मामले पर विचार किया जिसमें उच्च न्यायालय ने सेवा शर्तों में छूट दी थी।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय सांविधिक प्राधिकरण का कार्य अपने ऊपर नहीं ले सकता है।एकमात्र आदेश जो उच्च न्यायालय पारित कर सकता था, वह यह था कि सरकार को वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए छूट के लिए उनके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में छूट की आवश्यकता थी।न्यायालय द्वारा इस तरह का निर्देश जारी करना अवैध और अस्वीकार्य था।भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर (श्रीमती) और अन्य, ए. आई. आर.1994 एस.सी.2148; और ए. उमरानी बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य, (2004) 7 एस.सी.सी. 112 में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को दोहराया गया है।

19. जी. वीरप्पा पिल्लई बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड, ए. आई.आर.1952 एस.सी. 192 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के तहत परमिट देने के मामले पर विचार करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को परिवहन प्राधिकरण की कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन परमिट देने का निर्देश जारी करना स्पष्ट रूप से इसकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र

से अधिक था।20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने की अनुमति नहीं थी, विशेष रूप से जब आयोग ने उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन किया था।यदि प्रश्न तैयार करने या उत्तर के मूल्यांकन में कोई विसंगति थी, तो यह परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हो सकता है न कि प्रतिवादी के लिए।1 केवल।यह संयोग की बात है कि उच्च न्यायालय कानून से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था।यदि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषय होते, तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाया जा सकता था।इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि इस तरह के पाठ्यक्रम की उच्च न्यायालय को अनुमति नहीं थी।"

(15) दो साल बाद यानी वर्ष 2012 में इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण विकास किए गए।मनोज के मामले में

कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य, 2011 के सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामले No.13022 में पारित, 04.01.2012 पर निर्णय लिया गया, पटना

उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"19. वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है।गलत प्रश्न या गलत उत्तर से लाभ या हानि सभी के खिलाफ होगी क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि सफल उम्मीदवार सही उत्तर देने में कामयाब रहे, भले ही प्रश्न गलत था या इसके विपरीत।

20. इसलिए न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि बी. पी.एस.सी. को दूसरे विशेषज्ञ समूह की राय के आधार पर सभी उत्तर पुस्तिकाओं का नए सिरे से मूल्यांकन करने की अनुमति देना पूरी समस्या के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण होगा।यदि इस तरह की कवायद की अनुमति दी जाती है तो यह सफल उम्मीदवारों या असफल उम्मीदवारों को कोई अनुचित लाभ दिए बिना सभी उम्मीदवारों के उचित मूल्यांकन के बराबर होगा क्योंकि वे सभी का एक साझा मंच पर परीक्षण किया जाएगा।वास्तव में यह एक कारण है कि यह न्यायालय कुछ वकीलों की इस दलील को प्रतिग्रहण करना करने के लिए तैयार नहीं है कि सभी उम्मीदवारों को गलत प्रश्नों के सही उत्तर के रूप में मानते हुए उतने ही अंक जोड़े जाने चाहिए।इस तरह के दृष्टिकोण से उन सफल उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनके परिणाम घोषित किए गए हैं।

21. इसलिए कुल मिलाकर, न्यायालय एक सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बी. पी.एस.सी. को अब दूसरी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नए मूल्यांकन के बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को फिर से घोषित करना चाहिए और यह मुख्य परीक्षा के संचालन के लिए आधार बनना चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि परिणाम की घोषणा के आधार पर पहले सफल घोषित किए गए सफल उम्मीदवारों में से किसी को भी ऐसे उम्मीदवारों की सूची से बाहर नहीं किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा में बैठने के हकदार होंगे।यदि अभ्यास मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देकर सफल उम्मीदवारों के क्षेत्र के भीतर अधिक उम्मीदवारों को लाता है,

तो ऐसा ही हो, लेकिन अभ्यास किसी भी सफल उम्मीदवार के नुकसान के लिए नहीं किया जाएगा, जिनके परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।

23. इन रिट आवेदनों की अनुमति ऊपर जारी किए गए निर्देश के संदर्भ में दी गई है।

24. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वकीलों की ओर से कुछ ठोस प्रयास किए गए कि वे अपनी इस दलील पर कायम रहें कि दूसरी विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के बावजूद उत्तरों या प्रश्नों में अभी भी कुछ गलतियाँ हैं।ऐसे वकीलों के उचित सम्मान के साथ, वे तर्क तर्कों के लिए हैं क्योंकि वे जो उत्तर न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, वे एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा किए गए कुछ प्रकाशनों पर आधारित हैं, जिन्हें स्वयं इस विषय पर सभी प्रश्नों के लिए अंतिम रेफरल सामग्री नहीं माना जा सकता है, जो प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की जागरूकता का परीक्षण करने का आधार बन गया।

25. यह स्पष्ट किया जाए कि रिट आवेदनों के इन समूह में पारित आदेश उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा जिन्होंने 656 की परवाह किए बिना प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

तथ्य यह है कि क्या उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है या याचिकाकर्ताओं के रूप में शामिल किए जाने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए हैं और इस प्रकार दी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई है।"

(16) उसी वर्ष जितेंद्र कुमार तथा अन्यके मामले में और

बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग 8, के मामले**पर निर्णय लिया गया**

30.08.2012 को**, इस न्यायालय ने मनोज कुमार मामले (ऊपर) में पटना उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई विधि पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-**

"इसके अलावा आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते, जिसे संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य दिया गया है, उसे निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संचालित करने की भारी जिम्मेदारी है।अब तक यह कानून का तय प्रस्ताव है कि जहां कोई अधिनियम या नियम कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, वह निहित रूप से ऐसे सभी कार्यों को करने और/या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति भी प्रदान करता है जो इसके निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।इस प्रकार, किसी संवैधानिक/सांविधिक प्राधिकरण/निकाय को दिए गए कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए, ऐसे कदम, निर्णय या कार्रवाई करने की शक्ति अधिनियम में निहित है यदि वे अनिवार्य रूप से अधिनियम/नियमों के उद्देश्यों के प्रभाव को पूरा करना चाहते हैं।प्रारंभिक

परीक्षा और वह भी सफलतापूर्वक और बाद में मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी आयोग की है।ऐसा करने में, भले ही आयोग को कोई निर्णय लेने या किसी विशेष तरीके से कार्य करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई हो, आयोग को ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर उचित कदम/कार्रवाई करने के लिए शक्तिहीन नहीं छोड़ देगा।

उपरोक्त के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयोग के पास ऐसा निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी जो उस उद्देश्य के निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जिसके लिए आयोग का गठन किया गया है और जिसे संविधान के तहत और वैधानिक नियमों के तहत भी परीक्षा आयोजित करने का कर्तव्य सौंपा गया है।इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आयोग को कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त शक्ति/प्राधिकरण आयोग में निहित है।इसलिए

याचिकाकर्ताओं का विवाद मेंकहना है कि आयोग को प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों की अनुपस्थिति में में कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, आयोग द्वारा लिया गया निर्णय, उसके परिणाम और प्रभाव और इस तरह के निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली रहती है।

यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है जो आयोग को दिए गए कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है, इस प्रकार लिया गया निर्णय जब इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से होने का आरोप नहीं लगाया जाता है, तो सवाल उठाने के लिए खुला नहीं हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया, इसके प्रभाव और परिणाम स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं और इस संदर्भ में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई और इसके कारण हुए पूर्वाग्रह का परीक्षण किया जाना चाहिए।ऊपर बताए गए तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि जो प्रश्न पत्रों के लिए निर्धारित किए गए थे, वे आपत्तियों के लिए खुले थे।यह प्रश्न पत्रों की पुस्तिकाओं के खंड 9 से स्पष्ट है जो उम्मीदवारों को तब दिए गए थे जब एच. सी.एस. (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2011 25.3.2012 पर आयोजित की गई थी, जिसके अनुसार, प्रश्नों और उत्तरों के बारे में कोई भी अभ्यावेदन परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद केंद्र पर्यवेक्षक को लिखित रूप में दिया जा सकता है।इसके अनुसरण में, 151 अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें न केवल केंद्र पर्यवेक्षकों से, बल्कि आयोग के कार्यालय में भी प्राप्त अभ्यावेदन शामिल थे।इन्हें संबंधित पेपरों के पेपर-सेटरों को भेजा गया था।आयोग का रुख यह है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह समीक्षा के बराबर होगा क्योंकि जिन विसंगतियों का उल्लेख किया गया था, वे अभिलेख पर स्पष्ट थीं।आयोग की यह कार्रवाई हालांकि वास्तविक है, लेकिन इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि पेपर-सेटर इच्छुक पक्ष हैं।उनका अपना स्वार्थ है, अगर वे अपनी गलती

प्रतिग्रहण करना करते हैं कि उन्होंने प्रश्न गलत निर्धारित किए थे, तो उन्हें उन परिणामों का सामना करना पड़ सकता था जो उन्हें पेपर सेटिंग की भविष्य की जिम्मेदारी से भी वंचित कर सकते थे।

आयोग की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्यायाधीश के सुव्यवस्थित सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसके अनुसार, कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीशाधीश नहीं हो सकता है।यहाँ एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक प्रश्न-निर्धारक द्वारा निर्धारित प्रश्नों को गलत या असंगत होने के लिए चुनौती दी जा रही थी जो आम तौर पर सहज प्रवृत्ति से एक व्यक्ति को अपना और अपने कार्यों का बचाव करने के लिए प्रेरित करती है।खुले दिमाग से आगे बढ़ने के बजाय, पेपर-सेटर ने इसे नकारात्मक रूप से लिया होगा और अपने प्रश्नों का बचाव किया होगा।उपरोक्त स्थिति में, यह उचित और तर्कसंगत होता कि उक्त अभ्यावेदनों को विशेषज्ञों की समिति को भेजा जाना चाहिए था, जो प्रश्नों में जा सकते थे और उसके बाद आयोग को उसके विचार के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते थे।

याचिकाकर्ताओं के अलावा प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसे प्रतिवादी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया

है।जब यह स्वीकार किया जाता है कि प्रश्न पत्रों में विसंगतियां हैं, तो उत्तर कुंजी में गलत उत्तर होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, उक्त उत्तर कुंजी की शुद्धता के साथ एक धारणा जुड़ी हुई है जैसा कि कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, लेकिन मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उत्तर कुंजी को सार्वजनिक किया जाए ताकि उम्मीदवार अपनी-अपनी स्थिति से अवगत हों।आयोग की यह कार्रवाई न्यायसंगत, निष्पक्ष और न्यायसंगत होगी।उक्त उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के बाद, आयोग को पूरी निष्पक्षता के साथ कुछ निर्दिष्ट समय के भीतर उम्मीदवारों से अभ्यावेदन की मांग करनी चाहिए जो प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, तो विशेषज्ञों की समिति को भी भेजे जाने चाहिए, जो इस पहलू पर भी जा सकते हैं और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।प्रश्नों और उसमें की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में समिति और आयोग का मार्गदर्शन करने के लिए, गुंजन सिन्हा जैन (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

इस संबंध में निर्णय लेने के बाद आयोग को रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद के अनुसार कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

कानून के साथ।इससे न केवल आयोग में उम्मीदवारों का विश्वास बहाल होगा, बल्कि इस संवैधानिक प्राधिकरण की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, जो उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करना सुनिश्चित करने का दायित्व रखता है, जिससे इच्छुक उम्मीदवारों के मन में कोई संदेह नहीं रहेगा और आयोग के कामकाज और उसके कार्यों में पारदर्शिता आएगी।उत्तर कुंजी को सार्वजनिक नहीं करके आयोग की ओर से अधिकांश भ्रम पैदा किया गया है।यदि आयोग ने ऐसा किया होता, तो बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती, जिससे उम्मीदवारों के मन में संदेह दूर हो जाते।आयोग का उद्देश्य और इरादा खोखले सम्मान पर खड़ा होना या ऐसे मामलों में प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना नहीं है।शिक्षा में वृद्धि, इस देश के युवाओं के अधिकारों और अपेक्षाओं के प्रति जागरूकता के साथ, आयोग को अलग खड़ा होना चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता की आड़ में सुरक्षा और सुरक्षा की मांग करने के बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करके और अपने कामकाज में पारदर्शिता लाकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए।अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोग और यहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग भी इस उत्तर को सार्वजनिक करते हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा लोक सेवा आयोग इसके खिलाफ है, खासकर जब अदालत में यह कहा गया है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।इसलिए आयोग को जवाब को सार्वजनिक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उनके खिलाफ अभ्यावेदन, यदि कोई हो, की मांग करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें उनकी राय के लिए विशेषज्ञों की समिति के

पास भेजना चाहिए और उसकी प्राप्ति पर कानून के अनुसार उचित कदम उठाने चाहिए।

.....यह न्यायालय, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, (2010) 6 एस.सी.सी.759, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बनाम एस.सी.सी.759, (2010) 6 एस.सी.सी.759, (2010) 6 एस.सी.सी.759, (2010) 6 एस.सी.सी.759, (2010) 6 एस.डॉ.पी.सांबशिव राव, (1996) 7 एस.सी.सी.499, उड़ीसा सरकार बनाम हनीचल रॉय, (1998) 6 एस.सी.सी.626, एल.आई.सी.बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर, (1994) 2 एस.सी.सी.718 और ए. उमरानी बनाम कोप्रेटिवसोसायटीज, (2004) 7 एस.सी.सी. 112, ने इस विषय पर कानून का सारांश इस प्रकार दियाः-

“इस प्रकार, कानून का सारांश यह कहा जा सकता है कि न्यायालय परीक्षक या मूल्यांकनकर्ता या चयन बोर्ड का प्रश्न पत्रों या उत्तर पुस्तिकाओं में विसंगतियों की जांच करना की भूमिका नहीं निभा सकते हैं।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

।अदालतें प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका की भी जांच नहीं कर सकती हैं।जाहिर है, अगर अदालतें ऐसा करना शुरू कर देंगी, तो वे परीक्षक, पेपर सेटर और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभाएंगे, जिसे विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाएगा।यह तर्क और उद्देश्य के साथ है कि अदालतों को 'प्रमुख

उत्तर' में दिए गए उत्तर को सही मान लेना है।इस संबंध में कोई भी हस्तक्षेप उन्हें पेपर सेटर की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा।जैसा कि अच्छी तरह से समझा जाता है, न्यायिक समीक्षा आम तौर पर किसी निर्णय के खिलाफ निर्देशित नहीं होती है, बल्कि 'निर्णय लेने की प्रक्रिया' के खिलाफ निर्देशित होती है।यह देखने के लिए कोई भी अभ्यास कि कोई विशेष प्रश्न असंगत है या मुख्य उत्तर में उत्तर सही नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अनुमेय आधारों से परे जाना होगा।जैसा कि मामले में देखा गया है, कोलंबिया जिले के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग बनाम पोलक, (1951) 343 यू. एस. 451, न्यायिक प्रक्रिया की मांग है कि एक न्यायाधीश प्रासंगिक कानूनी नियमों और उनका पता लगाने के लिए वाचा किए गए विचारों के ढांचे के भीतर आगे बढ़े।तथ्य यह है कि कुल मिलाकर न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में निजी विचारों को दरकिनार कर देते हैं।"

अंततः विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्णय दियाः- "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी गई हैः-

(i) हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रश्न पत्रों की पुस्तिका के खंड 9 के अनुसरण में आयोग द्वारा प्राप्त 151 अभ्यावेदनों पर विचार करने और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा।आयोग इस पर विचार करेगा और कानून के अनुसार कदम उठाएगा।

(ii) हरियाणा लोक सेवा आयोग आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा, एक उचित समय के भीतर उम्मीदवारों से अभ्यावेदन मांगेगा, यदि कोई हो तो उसकी प्राप्ति पर उसे विशेषज्ञों की समिति को भेजा जाएगा, जो इन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी और आयोग को अपनी राय प्रस्तुत करेगी जो उसके बाद उस पर निर्णय लेगी कानून के अनुसारउचित कदम उठाएगी।

661

औद्योगिक अनुसंधान (सी. एस. आई. आर.)(अजय तिवारी, जे.)

यदि विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न पत्रों/उत्तर कुंजी में विसंगतियां पाई जाती हैं, तो आयोग द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए और निम्नलिखित पर भी विचार किया जाना चाहिए, अर्थात जहां भी प्रश्न (ओं) जिनके संबंध में उत्तर कुंजी में सही दिखाया गया विकल्प गलत है और इसके बजाय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित एक अन्य विकल्प सही पाया जाता है, तो उत्तर कुंजी को सही किया जाना चाहिए।जिन प्रश्नों के संबंध में उत्तर कुंजी में उत्तर बहस योग्य है या ऐसे प्रश्न (प्रश्न) जिनके संबंध में एक से अधिक सही विकल्प हैं या ऐसे प्रश्न हैं जिनके संबंध में कोई भी विकल्प सही नहीं है या ऐसे प्रश्न (प्रश्न) जो भ्रमित करने वाले हैं या स्पष्ट उत्तर के लिए पूरी जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें परीक्षा के दायरे से हटा देना होगा।सामान्य अध्ययन के पेपर के मामले में, सभी उम्मीदवारों के उत्तरों का मूल्यांकन उसी के अनुसार किया जाना चाहिए।

हालाँकि, वैकल्पिक विषयों के मामले में, आयोग के पास उक्त वैकल्पिक पेपरों में फिर से परीक्षा का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, यदि प्रश्न पत्रों/उत्तर कुंजी (ओं) में विसंगतियाँ ऐसी प्रकृति की हैं/हैं जहाँ प्रश्न (ओं) को हटाया जाना है।

उपरोक्त प्रक्रिया के प्रभावी होने के बाद ही परिणाम संकलित और घोषित किया जाता है।

मुख्य लिखित परीक्षा, जो 2.9.2012 के लिए तय की गई है, आयोग द्वारा उपरोक्त अभ्यास पूरा होने तक स्थगित कर दी जाएगी।"

(17) जितेंद्र कुमार मामले (उपरोक्त) में फैसले को चुनौती दी गई थी।

इस मामले में LPA जोहरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम

जितेंद्र कुमार और अन्य 9, जिसके द्वारा इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ एच.पी.एस.सी. की अपील को निम्नानुसार मानते हुए खारिज कर दियाः-

" इस प्रकार यह कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति (ओं), जिसका गठन विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार किया जाना है, इन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी और ऊपर बताए गए तरीके से निर्णय लेगी।

9 2012 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 22926

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

प्रतिवादी के वकील ने उन प्रश्नों की सूची भी तैयार की है जो उनके अनुसार गलत हैं या जहां उत्तर कुंजी गलत है।उसी को श्री बाली को सौंप दिया जाता है।आयोग के सचिव श्री आई.सी. सांगवान, जो अदालत में मौजूद हैं, द्वारा दिए गए निर्देशों पर श्री बाली बार में एक बयान देते हैं कि विशेषज्ञ समिति (ओं) इन प्रश्नों/उत्तर कुंजी को भी देखेगी।

चूँकि आयोग द्वारा सुझाए गए उपरोक्त प्रस्ताव/प्रक्रिया/मोड अनिवार्य रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों का ध्यान रखता है, इसलिए इन अपीलों में कुछ भी नहीं बचा है जो इस निर्देश के साथ निपटाए जाते हैं कि आयोग शपथ पत्र में बताई गई पंक्तियों के अनुसार कदम उठाएगा और अब जैसा कि इस आदेश में संकेत दिया गया है।हम यह भी बताना चाहेंगे कि यह कार्रवाई 2012 के एल. पी. ए. सं. 1552 और 1567 में उपस्थित प्रतिवादी के वकील को छोड़कर प्रतिवादी के लिए सभी वकीलों के लिए स्वीकार्य है।इन दोनों अपीलों में प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव पीटर ने कहा कि इस पीठ को उपरोक्त प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना नहीं करना चाहिए और एकमात्र उचित तरीका पूरी चयन प्रक्रिया को समाप्त करना और 4 वैकल्पिक विषयों में नए सिरे से परीक्षा आयोजित करना है।

हमने इस पहलू पर उन्हें सुना है लेकिन इस निवेदन को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, विशेष रूप से जब हम पाते हैं कि ऊपर सुझाए गए समाधान से प्रतिवादी की सभी शिकायतों का ध्यान रखा जाएगा और इस समाधान को अन्य सभी उम्मीदवारों/प्रतिवादी द्वारा भी प्रतिग्रहण करना किया जाता है।

आयोग 4 सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा।समिति (ओं) के सदस्यों के नाम 2012 के एल.पी. ए. सं. 1338 के अभिलेख पर सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।उक्त समिति (ओं) इसके बाद 4 सप्ताह के भीतर पूरी कवायद को पूरा करने का प्रयास करेगी ताकि आयोग इस न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके।हम तदनुसार सभी अपीलों का उपरोक्त तरीके से निपटारा करते हैं।"

(18) वर्ष 2013 में सर्वोच्च रामनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक परिषद के समक्ष दो मामले सामने आए।

राजेश कुमार और अन्य 10 के मामलों में अदालत ने दिनॉक 13–3–2013 को फैसला किया और विकास प्रताप सिंह और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 11 ने दिनॉक 9–7–2013 पर फैसला किया।राजेश कुमार में

मामला (ऊपर) न्यायालय ने इस मुद्दे पर निम्नानुसार चर्चा कीः-

"2. प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक गलत "मॉडल उत्तर कुंजी" का उपयोग गलत परिणामों और ऐसे उम्मीदवारों की समान रूप से गलत योग्यता सूची के लिए बाध्य है।पटना के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होने वाली वर्तमान अपीलों में ठीक यही हुआ प्रतीत होता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी

चयन आयोग को एक नई परीक्षा आयोजित करने और उस आधार पर योग्यता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है।जिन लोगों को पहले की परीक्षा के आधार पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, उनके लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक नई परीक्षा का निर्देश दिया गया है, इससे पहले कि उन्हें अंततः उनके द्वारा धारण किए गए पदों से हटा दिया जाए।उत्तर पुस्तिकाओं के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के लाभार्थी होने वाले अपीलकर्ताओं ने इन अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर हमला किया है जो निम्नलिखित पृष्ठभूमि में उत्पन्न होते हैं।

5. पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने "मॉडल उत्तर कुंजी" को विशेषज्ञों के पास भेजा।मॉडल उत्तरों की जांच दो विशेषज्ञों, डॉ. (प्रो.)द्वारा की गई थी। सी.एन.सिन्हा और प्रो.के0पी0एस0 सिहॅएन. आई.टी., पटना से जुड़े के.एस.पी. सिंह ने ऐसे कई उत्तरों को गलत पाया।इसके अलावा, दो प्रश्न भी गलत पाए गए जबकि दो अन्य को दोहराया गया।प्रश्न 100 भी दोषपूर्ण पाया गया क्योंकि उत्तर कुंजी में विकल्प मुद्रित थे लेकिन केवल आंशिक रूप से।

6. उक्त दो विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर, उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने माना कि 100 में से 41 मॉडल उत्तर गलत थे।यह भी माना गया कि दो प्रश्न गलत थे जबकि दो अन्य को दोहराया गया था।एकल न्यायाधीश ने उस आधार पर अभिनिर्धारित किया कि पूरी परीक्षा

10 (2013) 4 एस.सी.सी. 690

11 (2013) 14 एससीसी 494

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

रद्द कर दिया गया और इसी तरह उसके आधार पर नियुक्तियां भी की गईं।एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ आगे और परिणामी निर्देश भी जारी किए गए थे जिसमें आयोग को प्रश्न पत्र और "मॉडल उत्तर कुंजी" में त्रुटियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।

7. एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने उस उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष 2008 का एल. पी. ए. सं. 70 दायर किया।इन अपीलों में आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया है कि 100 में से 45 प्रश्नों के संबंध में आदर्श उत्तर गलत थे।खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और घोषणा की कि पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्य प्रश्न पत्रों के संबंध में किसी भी भ्रष्ट उद्देश्य या कदाचार का कोई आरोप नहीं था।खण्ड पीठ के अनुसार, केवल सिविल इंजीनियरिंग पेपर में एक नई परीक्षा दोष को सुधारने और किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय को रोकने के लिए पर्याप्त थी।खण्ड पीठ ने आगे कहा कि जबकि विवादित चयन के आधार पर नियुक्त लोगों को नए परिणाम के प्रकाशन तक जारी

रखने की अनुमति दी जाएगी, उनमें से कोई भी जो नई परीक्षा के आधार पर ग्रेड बनाने में विफल रहा, उसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश की शुद्धता पर हमला करती है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

15. हमारे विचार में श्री राव के इस तर्क में कोई दम नहीं है। कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं।यह सच है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने चयनित उम्मीदवारों को मामले में पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया था।लेकिन यह कहना पूरी तरह से गलत है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत उन्हें केवल इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के एक सादे पठन पर न केवल आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया, बल्कि विशेष रूप से कहा कि "मॉडल उत्तर कुंजी" जो इस तरह के मूल्यांकन का आधार थी, गलत थी।इसलिए, जिन प्रश्नों पर सीधे उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया, उनमें से एक यह था कि क्या "मॉडल उत्तर कुंजी" सही थी।

उच्च न्यायालय ने उचित रूप से उस प्रश्न को क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजा, जिन्होंने, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, 'ए' श्रृंखला के प्रश्न पत्र में निहित कुल 100 प्रश्नों में से 45 प्रश्नों के संबंध में 'मॉडल उत्तर कुंजी' को गलत पाया।अन्य त्रुटियाँ भी पाई गईं जिनका हमने पहले उल्लेख किया है।यदि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी स्वयं दोषपूर्ण थी, तो उसी के आधार पर तैयार किया गया

परिणाम अलग नहीं हो सकता था।इसलिए, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से न्यायोचित माना कि परीक्षा का परिणाम जहां तक 'ए' श्रृंखला के प्रश्न पत्र से संबंधित है, दूषित था।यह प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पूरी परीक्षा के परिणाम को प्रभावित करने के लिए बाध्य था, चाहे वह कार्यवाही में एक पक्ष हो या नहीं।यह भी बिना कहे चला जाता है कि यदि परिणाम गलत कुंजी के आवेदन से दूषित हो गया था, तो उसके आधार पर की गई कोई भी नियुक्ति भी अस्थिर हो जाएगी।इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय को रिट याचिका में मांगी गई राहत को ढालने और न केवल चयन प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक माने जाने वाले निर्देश जारी करने का अधिकार था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का अधिकार था कि किसी भी उम्मीदवार ने गलत कुंजी के आवेदन से दूसरों पर अनुचित लाभ अर्जित न किया हो।

19. श्री राव द्वारा की गई दलीलें बेमानी नहीं हैं।उत्तर कुंजी में दोष की प्रकृति को देखते हुए लिपियों के मूल्यांकन को सही करने का सबसे स्वाभाविक और मूल्यांकन तरीका कुंजी को सही करना और उसके आधार पर उत्तर लिपियों का पुनर्मूल्यांकन करना था।इन परिस्थितियों में, आयोग द्वारा एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का कोई ठोस कारण नहीं था, विशेष रूप से जब किसी भी कदाचार, धोखाधड़ी या भ्रष्ट उद्देश्य के बारे में कोई आरोप नहीं था जो संभवतः सभी संबंधितों द्वारा एक नए प्रयास के लिए पहले की परीक्षा को दूषित कर सकता था।सही कुंजी के संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज होने के अलावा कम खर्चीली भी होगी।यह प्रक्रिया किसी भी

उम्मीदवार को पहले आयोजित परीक्षा और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आयोजित परीक्षा के बीच के समय अंतराल के कारण कोई अनुचित लाभ नहीं देगी।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन एक बेहतर विकल्प था और है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

अंततः, उनके अधिपत्य इस प्रकार रहेः-

"21. श्री राव के समर्पण में काफी योग्यता है। यह बिना कहे चला जाता है कि अपीलकर्ता निर्दोष पक्ष थे जिन्होंने किसी भी तरह से गलत कुंजी या विकृत परिणाम तैयार करने में योगदान नहीं दिया है।लगभग सात वर्षों तक राज्य की सेवा करने वाले अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी धोखाधड़ी या कदाचार का कोई उल्लेख नहीं है।इन परिस्थितियों में, जबकि अंतर-योग्यता स्थिति अपीलार्थियों के लिए प्रासंगिक हो सकती है, बाद वाले का निष्कासन इस तरह के पुनर्मूल्यांकन का एक अपरिहार्य और अपरिहार्य परिणाम नहीं होना चाहिए।पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से उन लोगों को भी लाभ हो सकता है जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आवेदन की गई गलत कुंजी के आधार पर नियुक्ति की उम्मीद खो दी है।उन उम्मीदवारों में से जो अंततः अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने के हकदार पाए जा सकते हैं, वे इस तरह के पुनर्मूल्यांकन से लाभान्वित होंगे और योग्यता सूची में उनकी अंतर-स्थिति के अनुसार उस आधार पर अपनी नियुक्तियां करेंगे।

22. परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि-विज्ञापन संख्या के अनुसार आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की 'ए' श्रृंखला में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की उत्तर लिपियाँ। डॉ. (प्रो.)सी.एन.सिन्हा और प्रो.के0पी0एस0 सिहॅकी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई सही कुंजी के आधार पर 2006 के 1406 का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।के. एस.पी. सिंह और इस आदेश के मुख्य भाग में की गई टिप्पणियाँ और एक नई योग्यता सूचीउस आधार पर तैयार की गई

योग्यता सूची में शामिल लेकिन नियुक्त नहीं किए गए उम्मीदवारों को उनके पक्ष में नियुक्तियों की पेशकश की जाएगी।ऐसे उम्मीदवार उस तारीख से अपनी वरिष्ठता अर्जित करेंगे जब अपीलकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार पहली बार नियुक्त किया गया था, लेकिन बिना किसी पिछले वेतन या अन्य लाभ के।

मामले में रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी एन. ओ. एस. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद योग्यता सूची में नम्बर6 से 18 तक भी शामिल हैं, उनकी नियुक्तियां उस तारीख से संबंधित होंगी जब अपीलार्थियों को पहली बार उन्हें वरिष्ठता के उद्देश्य से सेवा की निरंतरता के साथ नियुक्त किया गया था।

लेकिन बिना किसी पिछले वेतन या अन्य आनुषंगिक लाभों के।

ऐसे अपीलार्थी जो पुनर्मूल्यांकन के बाद ग्रेड नहीं बनाते हैं, उन्हें सेवा से निष्कासित नहीं किया जाएगा, लेकिन 2006 के विज्ञापन No.1406 और 2006 के विज्ञापन No.1906 के अनुसार आयोजित दूसरे चयन के संदर्भ में पहले चयन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे होगा।

प्रतिवादी द्वारा आवश्यक कार्य शीघ्रता से किए जाएंगे-राज्य और कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन इस आदेश की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराने की तारीख से तीन महीने के बाद नहीं।"

विकास प्रताप सिंह मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अवकाश अनुदत्त जाती है।अपीलों के इन समूह को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा राजेंद्र सिंह कंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य दिनांक 1 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत और जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और उन सभी उम्मीदवारों की उत्तर लिपियों के चयनात्मक पुनर्मूल्यांकन के बाद तैयार की गई संशोधित योग्यता सूची की पुष्टि की है जो प्रतिवादी राज्य छत्तीसगढ़ में सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उप-निरीक्षकों के पदों के लिए मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए थे।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें प्रतिवादी राज्य को अपीलार्थियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने और उन्हें अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि मामले में सार्वजनिक महत्व का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है और इसलिए, सार्वजनिक महत्व के कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को खण्ड पीठ को भेज दिया गया हैः

“क्या वी.वाय. ए. पी. ए. एम. (प्रतिवादी बोर्ड) चयन सूची के प्रकाशन और प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर नियुक्ति आदेश पारित करने के बाद भी 668 का पुनर्मूल्यांकन कर सकता था।

उत्तरों को संपादित करने और फिर से तैयार करने के बाद उत्तर, और उम्मीदवारों की नई भर्ती के लिए दूसरी चयन सूची तैयार करें, पहली चयन सूची को रद्द करें?”

8. खण्ड पीठ ने कहा है कि चूंकि इस तरह से पुनर्मूल्यांकन किए गए सभी प्रश्न केवल एक सही उत्तर के लिए निश्चित अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे, इसलिए पुनर्मूल्यांकन के दौरान अंकन योजना या पूर्वाग्रह में अंतर की संभावना उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला

गया है कि प्रतिवादी बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के तरीके और विधि में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं कही जा सकती है और पुनर्मूल्यांकन का उक्त निर्णय उचित, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण था और इसने उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय नहीं किया है और इसलिए इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि मनमाना, अनुचित या दुर्भावनापूर्ण न पाया जाए।उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, खण्ड पीठ पहली सूची के तहत अपीलार्थियों की नियुक्तियों को रद्द करने को बरकरार रखना उचित समझा है और तदनुसार रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

11. श्री राव प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादी का निर्णय

इसके लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करना और बाद में अपीलार्थियों की नियुक्ति को रद्द करने वाली संशोधित योग्यता सूची का प्रकाशन मनमाना है और इसने अपीलार्थियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है।उन्होंने आगे कहा कि गलत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करने वाले नियमों का खंड 14 एक व्यापक दायरे का है और इसमें परीक्षा के प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत होने जैसी आवश्यकताएं शामिल हैं और इसलिए, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने के बजाय प्रतिवादी बोर्ड को उक्त वैधानिक प्रावधान के अनुपालन में कार्य करना चाहिए था।

12. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तीन शैलियों

को प्रभावित कियाःपहला, पेपर II में आठ प्रश्न जो गलत पाए गए; दूसरा, पेपर II में आठ प्रश्न जिनके उत्तर मॉडल उत्तर कुंजी में गलत पाए गए और तीसरा, पेपर I में वे प्रश्न जिनके कोई मॉडल उत्तर नहीं थे, वे थे विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति से पहले प्रदान किया गया।वह प्रस्तुत करेंगे कि आठ प्रश्नों के पहले सेट को हटा दिया गया था और नियमों के खंड 14 के अनुसार यथानुपात के आधार पर अंक दिए गए थे।आठ प्रश्नों के दूसरे सेट का मूल्यांकन सही मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर किया गया था और पेपर I में प्रश्नों के तीसरे सेट का, जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे, विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल उत्तर कुंजी की सहायता से पुनर्मूल्यांकन किया गया था।

14. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए जो बात आती है वह यह है कि क्या उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने में प्रतिवादी बोर्ड के निर्णय ने पहली योग्यता सूची, दिनांक 8-4-2008 के लिए नियुक्त अपीलार्थियों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा किया है?

18. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लेने में प्रतिवादी बोर्ड के औचित्य के संबंध में, हमारा विचार है कि प्रतिवादी बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय है जिसे विशेषज्ञों की मदद से निष्पक्ष और उचित तरीके से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के उचित संचालन का कर्तव्य सौंपा गया है और यदि मूल्यांकन प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उस संबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पर निर्णय लेने का अधिकार है।यह तय किया गया कानून

है कि यदि मूल्यांकन में अनियमितताओं को देखा जा सकता है और विशेष रूप से ठीक किया जा सकता है और अयोग्य चुनिंदा उम्मीदवारों की पहचान की जा सकती है और उनके स्थान पर योग्य उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल किया जा सकता है, तो फिर से मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं बताई जाएगी।इस प्रकार प्रतिवादी बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया में आई अनियमितताओं की पहचान की और आठ प्रश्नों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन की विधि का उपयोग करके, जिनके उत्तर गलत थे, और आठ गलत प्रश्नों को हटाकर और यथानुपात के आधार पर उनके अंकों का आवंटन करके इसे ठीक किया।उक्त निर्णय को मनमाना नहीं माना जा सकता है।यदि व्यक्तिपरक उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता तो वास्तव में अनुचित पूर्वाग्रह पैदा होता, जो कि यहाँ मामला नहीं है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन का निर्णय वैद्यथा।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

वैध निर्णय जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अपीलार्थियों या संशोधित योग्यता सूची में चुने गए उम्मीदवारों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करता है और इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

22. फ्राउस एट जुस नुन्क्वाम कोहेबिटेंट (धोखाधड़ी और न्यायाधीश कभी एक साथ नहीं रहते) के प्राचीन सिद्धांत ने सदियों से अपना आपा कभी नहीं खोया है और यह सेवा कानून न्यायाधीशशास्त्र की भावना और शरीर में बसा हुआ है।यह तय कानून है कि उक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई कानूनी अधिकार उस उम्मीदवार में निहित नहीं है जिसने धोखाधड़ी, शरारत, गलत निरूपण या दुर्भावना से रोजगार प्राप्त किया है।यह भी तय कानून है कि किसी पद पर गलती से नियुक्त व्यक्ति को योग्य और योग्य उम्मीदवारों के हितों को खतरे में डालते हुए गलत नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए।हालांकि, ऐसे मामलों में जहां नियुक्ति करने वाले की ओर से बिना किसी गलती के गलत या अनियमित नियुक्ति की जाती है और ऐसी त्रुटि या अनियमितता का पता चलने पर नियुक्ति करने वाले को समाप्त कर दिया जाता है, इस न्यायालय ने ऐसी नियुक्ति में उम्मीदवार की ईमानदारी और ऐसी नियुक्ति के बाद उम्मीदवार की सेवा की अवधि सहित विभिन्न कारकों के आलोक में सहानुभूतिपूर्ण विचार लिया है।"

अंततः उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहेः-

"28. हमारे सुविचारित विचार में, अपीलकर्ताओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे तीन साल से अधिक समय से प्रतिवादी-राज्य की कुशलता से सेवा कर रहे हैं और निस्संदेह उनकी समाप्ति से न केवल अपीलकर्ताओं और उनके आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा पर असर पड़ेगा, बल्कि उनके करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।यह उन अपीलार्थियों के लिए अत्यधिक अन्यायपूर्ण और घोर अनुचित होगा जो उत्तर पुस्तिकाओं

के गलत मूल्यांकन के लिए निर्दोष नियुक्त किए गए हैं।हालांकि, सेवा में उनके बने रहने से न तो अपीलार्थियों को कोई अनुचित लाभ मिलना चाहिए और न ही संशोधित योग्यता सूची के तहत चुने गए उम्मीदवारों के लिए अनुचित पूर्वाग्रह पैदा होना चाहिए।

29. तदनुसार, हम प्रत्यर्थी-राज्य को संशोधित योग्यता सूची में अपीलार्थियों को नियुक्त करने का निर्देश देते हैं और उन्हें उक्त सूची में सबसे नीचे रखते हैं।नियुक्ति के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु को पार करने वाले उम्मीदवारों को उपयुक्त आयु छूट के साथ समायोजित किया जाएगा।

30. हम स्पष्ट करते हैं कि उनकी नियुक्ति सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए नई नियुक्ति होगी जो अपीलार्थियों को उनकी पिछली नियुक्ति के आधार पर किसी भी पिछले वेतन, वरिष्ठता या किसी अन्य लाभ के लिए हकदार नहीं बनाएगी।"

दो साल बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष श्रीमती के मामले में एक मामला आया। लतिका शर्मा बनाम स्टेट ऑफ

हिमाचल प्रदेश और अन्य 12 ने 19.03.2015 पर निर्णय लिया, जिसमें

विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवेक कौशल बनाम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ के फैसले पर चर्चा की

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, 2013 का सी.डब्ल्यू.पी. No.9169, 17.07.2014 पर निर्णय लिया, और पैरा संख्या 2 में नीचे दिए गए अपने अवलोकनों को पुनः प्रस्तुत कियाः-

"17. तत्काल मामले में, नियम परीक्षक द्वारा पत्रों की जांच करने से पहले और परिणाम घोषित करने से पहले आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए निर्धारित करते हैं, यदि उम्मीदवार वेबसाइट पर कुंजी प्रदर्शित करने के सात दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज करते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य केवल परिणाम घोषित करने से पहले उन आपत्तियों की जांच करना है।

18. तत्काल मामले में परीक्षण को लागू करते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रतिवादी द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि उन्होंने आपत्तियों को आमंत्रित किया है, विशेषज्ञों से आपत्तियों की जांच करने के लिए कहा है, आपत्तियों की जांच की गई है, कुछ गलतियां पाई गई हैं, सुधार किए गए हैं, परीक्षकों को विशेषज्ञ की राय के आलोक में कागजात की जांच करने के लिए कहा गया था और उसके बाद परिणाम घोषित किया गया था।इस प्रकार, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं है।यदि आयोग ने आपत्तियों को आमंत्रित नहीं किया था या उक्त आपत्तियों और विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखने में विफल रहा था, तो उस स्थिति में न्यायिक समीक्षा की अनुमति थी।इस प्रकार, इस मामले में, ये रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।

19. प्रतिवादी ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दायर की हैं, लेकिन कुछ ने उन्हें दायर नहीं किया है।प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं की सीडब्ल्यूपी-वार सूची प्रस्तुत की है, जिन्होंने आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं किया है/आपत्तियां दायर नहीं की हैं, जिन्हें फाइल का हिस्सा बनाया गया है।प्रतिवादी ने सामान्य अध्ययन और योग्यता परीक्षण।आक्षेपित प्रश्नों/प्रमुख उत्तरों पर प्रमुख समिति के विशेषज्ञों की राय भी प्रस्तुत की है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

20. यह देश का कानून है कि अदालतें विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें विशेषज्ञों की राय का सम्मान करना पड़ता है और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।तत्काल मामलों में, विशेषज्ञों ने प्रश्नों की जांच की है और अपनी राय दी है।

अंततः विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"3. चूँकि न्यायालय इस विषय पर विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए उसे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और प्रमुख उत्तरों में दी गई अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विवेक कौशल के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है, जो निर्णय अन्यथा इस न्यायालय पर बाध्यकारी है।4. उपरोक्त चर्चा, विशेष रूप से विवेक कौशल के मामले (उपरोक्त) में इस

न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और तदनुसार लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया जाता है, यदि कोई हो, तो पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।"

(19) 2015 में ही कॉमन लॉ एडमीशन टेस्ट, 2015 (सी. एल. ए. टी.-2015) की लिखित परीक्षा को बॉम्बे हाईकोर्ट की खण्ड पीठ के समक्ष श्री सुभम दत्त बनाम द ट्रिब्यूनल के मामले में चुनौती दी गई थी।

संयोजक, सी.एल. ए. टी. 2015 (यू. जी.) परीक्षा, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अन्य 13 ने 02.07.2015 को

पूरे तथ्यों द्वारा देखने के बाद, खण्ड पीठ निम्नलिखित निर्णय दियाः

"आदेश

क) प्रतिवादी संख्या 1-सी. एल. ए. टी. आज से 5 दिनों के भीतर, जितनी जल्दी हो सके, एक विशेषज्ञ पैनल/समिति नियुक्त करे और स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण के लिए 7 आपत्तियों/प्रश्नों या अन्य संबंधित मुद्दों को तुरंत उनके विचार के लिए संदर्भित करे।

बी) विशेषज्ञ पैनल/समिति कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, उसके बाद 3 दिनों के भीतर दर्ज की गई सभी आपत्तियों/प्रश्नों पर कारणों को स्पष्ट करने और/या निर्णय लेने के लिए।

ग) विशेषज्ञ पैनल/समिति योग्यता सूची को फिर से तैयार करने और/या संशोधित करने के लिए प्रभावी निर्णय और कार्रवाई करेगी।

उम्मीदवार, यदि आवश्यक हो, (सी. एल. ए. टी.-15) पुनर्मूल्यांकन और/या मूल्यांकन के बाद, यदि आवश्यक हो, या इसके तुरंत बाद 4 दिनों के भीतर ऐसे परिणाम/योग्यता सूची को पास या घोषित करें।

घ) यह स्पष्ट किया जाता है कि (सी. एल. ए. टी.-2015), पूरी योग्यता सूची और उसके बाद की सभी प्रक्रिया, विशेषज्ञ पैनल/समिति के निर्णय के परिणाम के अधीन होगी, जिसे सभी संबंधितों द्वारा जल्द से जल्द लिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की और देरी से बचा जा सके।

ङ) लिखित याचिका का तदनुसार स्वतंत्रता के साथ निपटारा किया जाता है।च) नियम का निपटान तदनुसार किया जाता है।

छ) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

पक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के आधार पर कार्य करेंगे।"

(20) एक अन्य मामला वर्ष 2015 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अतुल कुमार वर्मा बनाम भारत संघ 14 के मामले में आया, जिसका निर्णय 13.07.2015 पर लिया गया था।उस मामले में यह मुद्दा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई. आई. टी.) के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे. ई. ई.) में तीन प्रश्नों से संबंधित था, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया थाः- "1. याचिकाकर्ता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई. आई. टी.) में

प्रवेश के लिए एक आकांक्षी के पिता होने के नाते, प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे. ई. ई.) जिसमें जे. ई. ई. (मुख्य) और जे. ई. ई. (अग्रिम) शामिल हैं, प्रतिवादी नं.2 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) और प्रतिवादी नं. 1 भारत संघ (यू. ओ. आई.), मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और जिसका वार्ड/बेटी 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित जे. ई. ई. (मुख्य) में उपस्थित हुआ था, ने यह घोषणा करने के लिए याचिका दायर की है कि प्रश्न संख्या। उक्त परीक्षा के सेट 'सी' में 9,22 और 57 अवधारणात्मक रूप से गलत हैं और प्रतिवादी नं. 2 सी.बी.एस. ई. याचिकाकर्ता की बेटी को 14 अतिरिक्त अंक प्रदान करेगा और उसकी बेटी के अंकों के साथ उक्त जोड़ करके उक्त परीक्षा का अखिल भारतीय रैंक तैयार करेगा।

2. यह याचिका सबसे पहले 29 मई, 2015 को इस न्यायालय के समक्ष आई जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-

14 2015 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 10316 674

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

“याचिकाकर्ता 04.04.2015 पर आयोजित जे. ई. ई. (मेन्स) परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था।यह कहा गया है कि 12 लाख से अधिक छात्र उक्त परीक्षा में शामिल हुए थे।प्रतिवादी ने सार्वजनिक डोमेन में प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों की उत्तर कुंजी जारी की और उत्तर कुंजी पर

आपत्तियां भी आमंत्रित कीं।यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न संख्या 9,20,22,57,73 और 21 (सेट सी)संबंध में उत्तरों पर आपत्ति जताई। प्रश्न पत्रों से प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, जो अग्रिम सूचना पर उपस्थित होते हैं, कहते हैं कि सार्वजनिक डोमेन में रखी गई उत्तर कुंजी के जवाब में प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया था।और, कुछ प्रश्नों के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि अन्य के संबंध में उन्हें खारिज कर दिया गया।हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों में से कोई भी विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार्य नहीं पाई गई।हालाँकि, याचिकाकर्ता के पक्ष में झुकने वाले वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि उनके विचार प्रतिवादी द्वारा नियुक्त अन्य विशेषज्ञों के विचारों पर प्रबल होने चाहिए।हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देता है कि उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में उत्तर गलत हैं और इसकी पुष्टि कुछ कोचिंग केंद्रों द्वारा भी की जाती है, इसलिए मैं प्रतिवादी से उत्तर कुंजी पर आपत्तियों पर विचार करने के लिए प्रतिवादी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना उचित समझता हूं।उसी को सुनवाई की तारीख पर प्रस्तुत किया जाए।

01.07.2015 पर सूची में जाए

9. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि (i) विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है; (ii) हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा परामर्श किए गए विषय विशेषज्ञों ने उन प्रश्नों के

संबंध में, जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति जताई गई है, राय दी कि वे एक उत्तर देने में सक्षम नहीं थे; (iii) कि प्रतिवादी की उत्तर कुंजी का तथ्य सं. 2 सी.बी.एस. ई. का गलत होना प्रत्यर्थी सं. 2 सी.बी.एस. ई. ने कुछ अन्य प्रश्नों के गलत होने के कारण उत्तर कुंजी को स्वीकार कर लिया है; (iv) जिन प्रश्नों पर आपत्ति की गई है, उनमें से कुछ का पूरा विवरण नहीं था और अभ्यर्थियों को अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, जिससे प्रश्न गलत हो गया और एक भी उत्तर देने में असमर्थ हो गया; (v)

कि चूंकि प्रतिवादी सं.2 सी.बी.एस. ई. और समान रूप से सक्षम और योग्य अन्य विषय विशेषज्ञ, के विषय विशेषज्ञों के बीच मतभेद था। इस न्यायालय को अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित प्रश्नों को एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। आई. आई.टी., दिल्ली या कोई और जो प्रतिवादी सं.2 सी.बी.एस.ई.; और, (vi) कि प्रत्यर्थी के विषय विशेषज्ञ सं. 2 सी.बी.एस. ई. स्वाभाविक रूप से, जहाँ तक संभव हो, उत्तर कुंजी में उत्तरों को दोहराने के लिए इच्छुक होगा और फिर से विचार करने के लिए पूरी तरह से खुला नहीं होगा।

याचिकाकर्ता द्वारा परामर्श किए गए विशेषज्ञों के हलफनामों और उत्तर कुंजी में उत्तर के गलत होने के लिए उनके द्वारा अपने

हलफनामों/अनुलग्नकों में दिए गए कारणों पर ध्यान आकर्षित किया गया था।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दिखाने के लिए एक चार्ट भी सौंपा, (ए) कि प्रश्न संख्या 9 के संबंध में एफ. आई.आई.टी.जे. ई. ई. और समय के अनुसार उत्तर उत्तर कुंजी के समान था, अनुनाद और आकाश के अनुसार प्रश्न सैद्धांतिक रूप से गलत था।

(ख) प्रश्न संख्या 22 के संबंध में (जिसका याचिकाकर्ता ने उत्तर नहीं दिया), टाइम के अनुसार उत्तर उत्तर कुंजी के समान था, एफ. आई.आई.टी.जे. ई. ई. के अनुसार सही विकल्प उपलब्ध नहीं था और अनुनाद और आकाश के अनुसार प्रश्न सैद्धांतिक रूप से गलत था; और, (सी) प्रश्न संख्या के संबंध में। 57, एफ. आई.आई.टी.जे. ई. ई., रेजोनेंस, आकाश, ब्रिलियंट के साथ-साथ टाइम के अनुसार याचिकाकर्ता की बेटी द्वारा दिया गया उत्तर सही था और उत्तर कुंजी में उत्तर गलत था।

इसके अलावा, प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट निर्णयों के अलावा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग (2005) 13 एस.सी.सी.749 पर भी भरोसा रखा गया था, जो सी.बी.एस. ई. के विषय विशेषज्ञों के विचारों के संबंध में था, जिसे सी. बी.एस. ई. को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया था, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता की बेटी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के टिकाऊ नहीं होने और उत्तर कुंजी सही होने का कोई कारण नहीं दिया गया था।

10. प्रतिवादी के वकील नं 2 सी. बी.एस. ई. ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की बेटी ने उत्तर कुंजी पर आपत्तियों को प्राथमिकता देते हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

क्योंकि उत्तर कुंजी में उत्तर गलत है जैसा कि अब विशेषज्ञों द्वारा दायर हलफनामों में दिया गया है और इस प्रकार प्रतिवादी 2 सी.बी.एस. ई.के विषय विशेषज्ञ नहीं। ने उक्त आपत्तियों पर विचार करते हुए उनके समक्ष उक्त राय नहीं रखी।यह आगे कहा गया कि सी. बी.एस. ई. को निर्देश दिया गया था कि वह अपने विषय विशेषज्ञों के विचारों को प्रस्तुत करे जैसा कि तब प्राप्त हुआ था और उसने तीन विषय विशेषज्ञों से परामर्श करके प्राप्त विचारों को प्रस्तुत किया था और जिनमें से एक में स्पष्टीकरण था।जवाबी शपथ पत्र अन्य बातों के साथ साथ निर्दिष्ट आदेशों/निर्णयों के अलावा इस न्यायालय की खण्ड पीठ के 8 अप्रैल, 2015 के आदेश का भी संदर्भ दिया गया था, जिसअन्य बातों के साथ साथ अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति डब्ल्यू. पी.अन्य बातों के साथ साथ सदस्य था। (ग) नम्बर 2275/2010डॉ.राजीव कुमार बनाम भारत संघ शीर्षक से जे. ई. ई. और जहां इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार मनाया/आयोजित किया गया थाः-

“20. जहां तक सुझाव का संबंध है, विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय द्वारा समीक्षा की जाने वाली उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के लिए, हमारा विचार है कि सभी सातों आई.आई.टी. के विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न निर्धारक द्वारा तैयार की गई उत्तर कुंजी की जांच और उसके बाद ही तैयार की जाने वाली अंतिम उत्तर कुंजी के बारे में हमें जो सूचित किया गया है,

उसके आलोक में, उत्तर कुंजी पर विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय द्वारा विचार/समीक्षा की जाने वाली आपत्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है।बल्कि हमने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि आई. आई.टी. के विशेषज्ञों से अलग विशेषज्ञों के स्वतंत्र निकाय की स्थिति में उक्त प्रक्रिया कहां समाप्त होगी, क्या अगला कदम न्यायिक समीक्षा की मांग करना नहीं होगा।हमारे विचार में उत्तर कुंजी की कोई न्यायिक समीक्षा आम तौर पर स्वीकार्य नहीं है।उक्त पहलू पर सलिल माहेश्वरी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और मनोविराज सिंह बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (डब्ल्यू. पी. (सी) सं.5074/2013 में 25 सितंबर, 2013 का निर्णय) में इस न्यायालय के हाल के फैसलों में विस्तार से विचार किया गया है और आगे विस्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।यह कहना पर्याप्त है कि उम्मीदवारों की परीक्षा और चयन की प्रक्रिया को एक अंतहीन अभ्यास नहीं बनाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश और शैक्षणिक सत्र में देरी होगी और जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

उपरोक्त के आधार पर यह तर्क दिया गया था कि मामला अब एकीकृत नहीं है।

यह आगे तर्क दिया गया कि कानपुर विश्वविद्यालय ने कहा कि परीक्षा निकाय के विशेषज्ञों ने स्वयं गलत स्वीकार किया था और इस प्रकार उक्त निर्णय लागू नहीं होता है।

11. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिवाद में तर्क दिया कि, (i) जे. ई. ई. (एडवांस) में प्रक्रिया के अनुसार जहां उत्तर कुंजी पर

आपत्तियों को उन लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों को संदर्भित किया जाता है जिन्होंने उत्तर कुंजी तैयार की थी, भले ही केवल आई. आई.टी., प्रतिवादी संख्या द्वारा आयोजित जे. ई. ई. (मुख्य) की उत्तर कुंजी पर आपत्तियों पर विचार करें। प्रतिवादी नम्बर2 सी. बी.एस. ई. स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा नहीं है; (ii) इस प्रकार जे. ई. ई. (एडवांस) से संबंधित डॉ. राजीव कुमार में खण्ड पीठ की उपरोक्त टिप्पणियों का जे. ई. ई. (मेन) के लिए आवेदन नहीं होगा; (iii) सभी कोचिंग संस्थानों के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा परामर्श किए गए विशेषज्ञों के अनुसार, जिसमें वह विशेषज्ञ भी शामिल है जिसका शपथ पत्र प्रत्युत्तर के साथ दायर किया गया है, प्रश्न संख्या की उत्तर कुंजी में उत्तर 57 गलत है, उसी को विवाद के इस न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को एक संदर्भ आमंत्रित करना चाहिए और याचिकाकर्ता इसके लिए बाध्य होगा।

12. सुनवाई के दौरान यह पूछा गया कि क्या याचिकाकर्ता के अलावा उपरोक्त तीन प्रश्नों पर कोई अन्य आपत्तियां प्राप्त हुई थीं।प्रतिवादी के वकील नं 2 सी. बी.एस. ई. ने सकारात्मक उत्तर दिया और सूचित किया कि उक्त प्रश्नों पर अन्य लोगों की आपत्तियों को भी नकार दिया गया था।याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह मायने नहीं रखता कि चुनौती एक उम्मीदवार द्वारा दी गई है या कई उम्मीदवारों द्वारा दी गई है, क्योंकि एक बार मतभेद हो जाने के बाद, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है।

13. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले मैं यह देख सकता हूं कि यह न्यायालय विद्या सम्बन्धी मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं से

इतना भरा हुआ है कि इसके लिए एक अलग सूची बनाई गई है।हालांकि अतीत में उक्त मामले विद्या सम्बन्धी संस्थानों/निकायों की प्रशासनिक कार्रवाइयों को चुनौती देने से संबंधित थे, जैसे कि एक परीक्षा को रद्द करना, एक छात्र को निष्कासित करना, लेकिन बाद में उक्त चुनौती शिक्षा के सभी पहलुओं तक फैल गई है और इसकी पराकाष्ठा इस याचिका में चुनौती से स्पष्ट है, जिसमें परीक्षा में अंकन की न्यायिक समीक्षा या परीक्षा में किसी प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिएके परीक्षण निकाय के निर्णय की मांग की गई है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

।मैंने इस बात पर विचार किया है कि क्या भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथास्थिति और उत्प्रेषण लेख या उनमें से किसी के रूप अधिकार पृच्छा या रिट जारी करने की शक्ति, भाग-3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालयों को तुलनात्मक योग्यता का परीक्षण करने या प्रवेश के लिए या चयन या नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में किसी प्रश्न के उचित/सही उत्तर की समीक्षा करने के लिए उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रदान की गई है।

14. उच्चतम न्यायालय, टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एस. सी.सी. 651 अन्य बातों के साथ साथ निविदा मामलों अन्य बातों के

साथ साथ प्रामाणिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की सीमा से संबंधित था और मामले कानून की समीक्षा पर यह अभिनिर्धारित किया गया था किः-

((i) न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं;

((ii) न्यायिक समीक्षा न्यायाधीशों के हाथों में एक बड़ा हथियार है; लेकिन न्यायाधीशों को इस लाभकारी शक्ति के प्रयोग पर हमारी संसदीय प्रणाली द्वारा निर्धारित संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए।

(iii) प्रतिबंध की दो समकालीन अभिव्यक्तियाँ हैं-एक न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा है; दूसरा इसके गुण-दोष के आधार पर एक प्रशासनिक निर्णय को रद्द करने की अदालत की योग्यता का दायरा शामिल करता है;

((iv) ये प्रतिबंध प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण के लक्षण हैं।

(v) न्यायिक समीक्षा का संबंध उस निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा से नहीं है जिसके समर्थन में न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन किया जाता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से है;

(vi) जब तक न्यायालय की शक्ति पर उस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में, खुद को शक्ति हड़पने का दोषी ठहराएगा;

(vii) कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय की चिंता इस तक सीमित होनी चाहिए, (क) क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का भंग किया है; (ख) कानून की त्रुटि की है;

(ग)प्राकृतिक न्याय के नियम; का भंग किया है और(घ) एक ऐसे निर्णय पर पहुँचे जो कोई उचित न्यायाधिकरण तक नहीं पहुँचा होगा या; (ङ) अपनी शक्तियों का दुरुपयोग;

(viii) इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई विशेष नीति या उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष निर्णय उचित है या नहीं।

(ix) न्यायालय केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं;

(x) यदि निर्णयकर्ता उस कानून को सही ढंग से समझता है जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाता है, तो उसके निर्णय को अवैध नहीं कहा जा सकता है, जो हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है;

(xi) किसी निर्णय को अनुचित माना जाएगा यदि वह अपने संचालन में निष्पक्ष और असमान है;

(xii) उन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, आमतौर पर अनुचित नहीं माना जाता है;

(xiii) यदि न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत व्यापक है तो यह विभिन्न प्राधिकरणों/एजेंसियों को अदालतों में मामलों के प्रसारण के लिए मीडिया से थोड़ा अधिक बना देगा और जटिल क्षेत्रों में निरंतर प्रशासन द्वारा से प्राप्त विशेष ज्ञान का लाभ प्राप्त करने के लिए बनाई गई एजेंसियों के मूल्य को नष्ट कर देगा।

(xiv) यह एक न्यायाधीश का कार्य नहीं है कि वह एक सुपर बोर्ड के रूप में कार्य करे या एक शिक्षाविद स्कूल मास्टर के उत्साह के साथ प्रशासक के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करे;

(xv) गैर-विशेषज्ञ न्यायाधीश द्वारा किसी भी न्यायिक समीक्षा की अनुमति विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार से नहीं दी जाती है; और,

(xvi) यदि कोई न्यायालय राज्य चिकित्सा परीक्षक मंडल जैसे निकाय के निर्णय की पूरी तरह से समीक्षा करता है, तो वह खुद को फार्माकोपिया के रहस्यों पर चौंका देने के चिकित्सीय भूलभुलैया के बीच भटकता हुआ पाएगा-ऐसी स्थिति अंधे के अंधे की ओर ले जाने का मामला नहीं है, बल्कि हमेशा बहरे और अंधे व्यक्ति का है जो इस बात पर जोर देता है कि वह उस व्यक्ति से बेहतर देख और सुन सकता है जिसकी हमेशा अपनी दृष्टि और सुनवाई रही है और जिसने हमेशा विचाराधीन विषय के संबंध में सच्चाई का पता लगाने में उनका अधिकतम लाभ उठाया है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

15. जब मैं किसी याचिका पर उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करता हूं, तो उस उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा की मांग करता हूं, जिसे प्रश्न निर्धारकों ने अन्य विषय विशेषज्ञों के साथ या उनके परामर्श के बिना

तैयार किया है और जिन्होंने आपत्ति उठाए जाने पर अन्य विशेषज्ञों की सहायता के साथ या उनके बिना उत्तर कुंजी को दोहराया है, और परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों पर कौन सी उत्तर कुंजी समान रूप से लागू की गई है, तो मेरे विचार में उत्तर स्पष्ट है कि कोई न्यायिक समीक्षा नहीं है।

19. इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ भी हाल ही में सलिल माहेश्वरी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि (i) किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार जिसने उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताने के लिए दिए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया है, उसे विलंबित स्तर पर चुनौती देने से रोक दिया जाता है; (ii) कानपुर विश्व विद्यालय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उत्तर कुंजी को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की एक अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए; इसे स्पष्ट रूप से गलत होने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अर्थात, यह ऐसा होना चाहिए क्योंकि विशेष विषय में अच्छी तरह से पारंगत लोगों का कोई भी उचित समूह सही नहीं मानेगा; और यदि पारंपरिक मापदंडों को सही माना जाए।

22. यह मुझे याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों पर लाता है।सलिल माहेश्वरी सुप्रा में खण्ड पीठ द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय का अनुपात पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय एक ऐसे युग से संबंधित हैं जहां के उत्तर पर आपत्ति करने का कोई अवसर

नहीं दिया गया था।कुंजी, हालांकि उत्तर कुंजी परीक्षा के परिणाम के साथ प्रकाशित की गई थी और परिणाम के बाद कहाँ चुनौती दी गई थी।तब से, अधिकांश परीक्षण निकायों ने स्वयं या न्यायालयों के निर्देशों के तहत उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित करने और उक्त आपत्तियों पर विचार करने और यदि वे संतुष्ट हो जाती हैं, तो उत्तर कुंजी को सही करने और उसके बाद परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया तैयार की है।उक्त प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद, मेरे विचार में उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि पक्षपात, दुर्भावनापूर्ण, प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने आदि के आरोप नहीं लगाए जाते हैं जो पारंपरिक रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आह्वान करने के लिए आधार हैं।अदालतों ने उन परीक्षा निकायों को निर्देश दिया है जिनके पास उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं थी, वे उक्त प्रक्रिया का पालन करें जो अदालतों ने परीक्षा के उचित परिणाम के लिए और उत्तर कुंजी में गलतियों की संभावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक महसूस की थी।एक बार इस तरह की प्रक्रिया का पालन करने के बाद, न्यायिक समीक्षा के पारंपरिक मानकों को छोड़कर आगे कोई संभावित चुनौती नहीं हो सकती है।यदि इस तरह की चुनौतियों की अनुमति दी जाती है, तो इससे असंतुष्ट छात्र विषय विशेषज्ञों की राय के साथ एक के बाद एक याचिका दायर करेंगे और जो भिन्न हो सकते हैं और जो अंततः प्रवेश में और शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में देरी का कारण बनेंगे और ये सभी जनहित के विपरीत होंगे और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि अनुमति दी जाती है

तो आपत्तियों को आमंत्रित करने और उनका पालन करने की प्रक्रिया के बावजूद उत्तर कुंजी में त्रुटि रहने की संभावना की बीमारी से भी बदतर इलाज होगा।

24. मैं इस बात से अवगत हूं कि कुछ अन्य मामलों में भी न्यायालयों ने अन्याय को रोकने के अपने उत्साह में, इस सवाल में गए बिना कि क्या उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति अनुच्छेद 226 की सीमा के भीतर है, परीक्षा निकाय और छात्रों के अलग-अलग संस्करणों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए।हालांकि, एक निर्णय जहां उक्त पहलू को नहीं उठाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है, एक पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है।अब एक निश्चित राय लेने का समय आ गया है, ताकि भविष्य में कानून में अनिश्चितता के कारण छात्र मौका लेने के लिए आकर्षित न हों।"

(21) 2016 में यह मुद्दा फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठा था।

सुमित कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में न्यायालय और अन्य 15 ने 09.05.2016 पर निर्णय लिया, जिसमें एक खण्ड पीठ प्रश्नों पर विचार किया और फिर निम्नानुसार निर्णय दियाः-

“43. अंतिम मुद्दा और प्रश्न अंतिम आदेश या निर्देश से संबंधित है जिसे पारित किया जाना चाहिए।कानपुर विश्वविद्यालय (ऊपर) में पैराग्राफ 18 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संदिग्ध प्रश्नों को पेपर से बाहर रखा जाना चाहिए और उन्हें कोई अंक नहीं दिए जाने चाहिए।गुंजन सिन्हा जैन बनाम महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, 188 (2012) डी. एल.टी. 627 (डी. बी.) मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ निर्देश दिया था कि "पुनर्मूल्यांकन" के उद्देश्य से 12 प्रश्नों को विचार के दायरे से हटा दिया जाना चाहिए/मिटा दिया जाना चाहिए।गुंजन सिन्हा (उपरोक्त) में, यह निर्देश दिया गया था कि न्यूनतम योग्यता अंकों में बदलाव किया जाएगा क्योंकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अमान्य या हटाए गए प्रश्नों को छोड़कर कम से कम 60 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी को कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।उन उम्मीदवारों की संख्या का उल्लेख करते हुए जो अपनी श्रेणी के संदर्भ में दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा के लिए अल्पतम प्राप्त करेंगे, यानी प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या का दस गुना, यह निम्नानुसार देखा और आयोजित किया गयाः-

“80. अब हम दूसरी शर्त पर आते हैं जो यह निर्धारित करती है कि मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों की कुल संख्या से दस गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।आइए हम सामान्य रिक्तियों का मामला लेते हैं जिन्हें संख्या में 23 के रूप में विज्ञापित किया गया था।दस गुना 23 का मतलब होगा कि 230 जनरल तक के उम्मीदवार योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।लेकिन,

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 235 सामान्य उम्मीदवारों को पहले ही मुख्य परीक्षा (लिखित) देने के लिए योग्य घोषित किया जा चुका है।इसलिए हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं।यदि हम इस शर्त का सख्ती से पालन करते हैं तो किसी अन्य उम्मीदवार (235 के अलावा जिन्हें योग्य घोषित किया गया है) के लिए अर्हता प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।लेकिन, यह उनके लिए अनुचित होगा क्योंकि प्रश्न पत्र स्वयं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, दोषों से मुक्त नहीं था।काल्पनिक रूप से, एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्न छोड़े होंगे, जिन्हें अब हटाया जाना है, और,

15 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 2818

इसलिए, उन्होंने उन प्रश्नों के लिए शून्य अंक प्राप्त किए होंगे।इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने उन सभी 12 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया होगा (उत्तर कुंजी के संदर्भ में) और इसलिए, उन्हें 25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन के कारण माइनस (-) 3 अंक प्राप्त हुए होंगे।और, यह सब, उनकी ओर से बिना किसी गलती के क्योंकि 12 प्रश्न प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए थे।इसलिए, दूसरी शर्त के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को बाहर करना अनुचित होगा।"

81. जहाँ तक अन्य उम्मीदवारों का संबंध है, हमें योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को परेशान नहीं करने की आवश्यकता के साथ-साथ न्यायाधीश निष्पक्षता और समानता की आवश्यकता के साथ दूसरी शर्त

की आवश्यकता को सुसंगत बनाना चाहिए।हम महसूस करते हैं कि यह संभव होगाः

(1) उपरोक्त तालिका में संक्षेपित पंक्तियों पर सभी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की ओ. एम. आर. उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करके;

(2) 112.8 के न्यूनतम योग्यता अंकों के अधीन योग्यता के आदेश में शीर्ष 230 उम्मीदवारों का चयन करके; और

(3) उन उम्मीदवारों के नाम जोड़कर, यदि कोई हों, जिन्हें पहले योग्य घोषित किया गया था, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के बाद शीर्ष 230 उम्मीदवारों में जगह नहीं मिलती है।

इस तरह, वे सभी व्यक्ति जो वैध रूप से शीर्ष 230 में होने का दावा कर सकते हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा और वे सभी जिन्हें पहले योग्य घोषित किया गया था, वे भी अपनी घोषित स्थिति बनाए रखेंगे।हालांकि, योग्य उम्मीदवारों की अंतिम संख्या 230 के आंकड़े से अधिक हो सकती है, हमारे अनुसार, उम्मीदवारों के प्रतिस्पर्धी दावों के साथ नियमों को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सुसंगत बनाने का यह एकमात्र तरीका है।प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के संबंध में भी इसी तरह की कवायद आयोजित करनी होगी।प्रतिवादी द्वारा पूरी कवायद दो सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।नतीजतन, मुख्य परीक्षा (लिखित) को भी फिर से निर्धारित करना होगा और तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, हमें लगता है कि यह 26.05.2012 से पहले नहीं होना चाहिए।”

44. सर्वोच्च न्यायालय दीवानी याचिका सं 4794/2012, पल्लव मोंगिया बनाम महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले दर्ज किए थे।

कुछ प्रश्नों को हटाने या मॉडल उत्तर कुंजी में सुधार के परिणामस्वरूप नई संक्षिप्त सूची के प्रश्न की जांच की गई।यह देखते हुए कि पहली योग्य सूची में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर नहीं किया गया था, भले ही उक्त उम्मीदवार कुछ प्रश्नों को हटाने या मॉडल उत्तर कुंजी में बदलाव के कारण रैंक में नीचे आ गया हो; यह निर्देश दिया गया था कि अन्य उम्मीदवार, जिन्होंने प्रश्नों को हटाने और मॉडल उत्तर कुंजी में संशोधन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के बाद संशोधित सूची के माध्यम से मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमत अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, वे भी अर्हता प्राप्त करेंगे और उन्हें पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा।

45. हम प्रतिवादी को उक्त पहलुओं पर कोई विशिष्ट निर्देश नहीं देना चाहेंगे क्योंकि यह अधिक उचित होगा यदि हम इस मुद्दे को छोड़ दें और किसी भी निर्देश के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रश्न से भ्रम पैदा हो सकता है या असमान व्यवहार हो सकता है।विशेष रूप से, प्रतिवादी ने एक विशेष विधि का पालन किया होगा जब उन्होंने स्वयं कुछ प्रश्नों को हटा दिया था और एक शुद्धिपत्र जारी किया था।विधि तय

करते समय और योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करते समय, प्रतिवादी गुंजन सिन्हा जैन (उपरोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और पल्लव मोंगिया (उपरोक्त) मामले में पारित 28 मई, 2012 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखेगा।प्रतिवादी को मुख्य परीक्षा के लिए एक तारीख भी फिर से तय करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए जोड़े गए योग्य उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

46. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम आंशिक रूप से रिट याचिकाओं को इस निर्देश के साथ अनुमति देते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 94,97,113 और 197 को हटा दिया जाएगा।तदनुसार, प्रतिवादी गुंजन सिन्हा (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात और पल्लव मोंगिया (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अंकों और पात्रता सूची की पुनः गणना करने के लिए आगे बढ़ेंगे।मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त तिथि तय की जाएगी।मामले के तथ्यों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

(22) उसी वर्ष यह मुद्दा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सुनील कुमार सिंह और रमनदीप कौर बनाम वैज्ञानिक और न्यायिक परिषद के मामले में भी आया।

अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य और अन्य संबंधित मामले, 2016 के रिट ए No.28971 में पारित किए गए, 09.12.2016 पर निर्णय लिया गया, जिसमें यह

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः-

“रिट याचिकाओं के इस समूह को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा (सामान्य भर्ती) परीक्षा 2016 और संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा (विशेष भर्ती) परीक्षा 20161 के परिणाम पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता राज्य में प्रांतीय सेवाओं के विभिन्न पदों के लिए इच्छुक हैं।यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है।इसमें एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा शामिल होती है जो प्रत्येक श्रेणी में आवश्यक अनुपात में उपयुक्त उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए एक जांच परीक्षा की प्रकृति में होती है।प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित आदेश के लिए नहीं गिना जाता है।प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार भर्ती के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें एक मुख्य लिखित परीक्षा होती है जिसके बाद साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण होता है।मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित आदेश का आधार बनता है।आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1985 की खंड 11 की उप-खंड (1) के तहत बनाए गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन) नियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।याचिकाकर्ता प्रारंभिक लिखित परीक्षा में

उपस्थित हुए हैं लेकिन उन्हें दिए गए अंक उनकी संबंधित श्रेणी में निर्धारित कट ऑफ अंकों से कम हो गए हैं।उन्होंने इस अदालत का रुख किया है

मॉडल उत्तर कुंजी और मूल्यांकन की विधि में विभिन्न विसंगतियों का आरोप लगाना।

उम्मीदवारों की जांच सामान्य अध्ययन के दो पत्रों के आधार पर आयोजित की गई थी; (i) सामान्य अध्ययन I, जो योग्यता प्रकृति का था और उसमें प्राप्त अंकों को योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना गया था; और (ii) सामान्य अध्ययन II जिसमें कुल 200 अंकों के 150 प्रश्न शामिल थे, जिनमें सभी समान अंक वाले थे।सवाल बहु विकल्प उद्देश्य प्रकार, प्रत्येक में चार विकल्प होते हैं।उम्मीदवार को सही उत्तर के रूप में विकल्पों में से एक का चयन करना होगा।यदि कोई उम्मीदवार दो उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित करता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाता है।

जवाबी शपथ पत्र में लिए गए रुख के अनुसार, आयोग ने प्रमुख उत्तर तैयार किए और 27 अप्रैल 2016 से 1 मई 2016 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित की।इसके अनुसरण में 82 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुईं।प्राप्त आपत्तियों को एक विशेषज्ञ पैनल के समक्ष रखा गया और उनकी राय के आधार पर आयोग ने पांच प्रश्नों (प्रश्न संख्या) को हटा दिया।22, 26, 30, 122 &128) को हटा दियाऔर इन प्रश्नों के अंक सभी उम्मीदवारों को अनुपात के आधार पर वितरित किए गए थे; दो प्रश्नों के संबंध में (प्रश्न संख्या

119 &139), सही उत्तर के रूप में दो विकल्पों को स्वीकार किया गया और आयोग ने किसी भी विकल्प का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों को पूर्ण अंक प्रदान किए।विशेषज्ञ समिति की राय के आधार पर आयोग ने कुछ प्रश्नों के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार करते हुए एक अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की और उसी के आधार पर 27 मई 2016 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया।

उत्तर पुस्तिकाएँ चार श्रृंखलाओं में थीं; ए, बी, सी और डी। इस निर्णय में सभी संदर्भ श्रृंखला बी के संदर्भ में हैं, जिन्हें मौखिक प्रस्तुतियाँ देने के समय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित किया गया था।विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:-

ए. कई प्रश्न गलत थे, जिससे आयोग को प्रश्न संख्या22, 26, 30, 122 को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

128. इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं का इन प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में मूल्यवान समय बर्बाद हो गया है।

बी। कुछ प्रश्नों में एक से अधिक सही उत्तर थे, जिससे भ्रम पैदा हुआ।यह उम्मीदवारों को दिए गए विशिष्ट निर्देशों के विपरीत था जिसमें कहा गया था कि एक से अधिक विकल्पों का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार को कोई अंक नहीं मिलेगा।

ग. तैयार किए गए प्रश्न त्रुटिपूर्ण थे; गलत तरीके से संरचित; और भिन्न मामलों में विशेषज्ञ पैनल द्वारा दिए गए प्रमुख उत्तर गलत थे, इस प्रकार परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित कर रहे थे।

दूसरी ओर, राज्य और आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर परीक्षा आयोजित की।उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियों को प्राथमिकता देने का अवसर दिया गया था, इस प्रकार गलतियों की संभावना को खारिज कर दिया गया, जिससे प्रणाली संवादात्मक और उत्तरदायी बन गई।यह तर्क कि विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई उत्तर कुंजी गलत थी, याचिकाकर्ताओं के स्व-मूल्यांकन पर आधारित है जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।विशेषज्ञ की राय अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है।हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और एक अन्य और महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेश कुमार सेठ 6 के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसलों और संदीप मिश्रा और अन्य संबंधित मामलों बनाम उत्तर प्रदेश राज्यऔर अन्यके मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। "

(23) विद्वान न्यायाधीशों ने मामले के सभी विवादित प्रश्नों और अन्य पहलुओं पर चर्चा की और अंततः इस प्रकार निर्णय दियाः-

“विकास प्रताप सिंह (उपरोक्त) के मामले में जांच निकाय द्वारा अपनाए गए इसी तरह के पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो पहले ही चुने जा चुके हैं और कई वर्षों तक काम कर चुके

हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए।

यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि हालांकि मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की गई है लेकिन इसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राकेश कुमार (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम का पालन करते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा करते हैंः

(क) आयोग सभी उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करेगा (i) प्रश्न सं.25, 66 और 92;खत्म करेगा और (ii) प्रश्न संख्या के लिए पूर्ण अंक देना।44 उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने विकल्प (बी) या (सी) का प्रयोग किया है।

(ख) वे उम्मीदवार जो में उत्तीर्ण पाए गए हैं।

पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का हकदार बन जाएगी।ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में आयोग जल्द से जल्द मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा।

(ग) पहले से आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम, यदि अब तक घोषित नहीं किया गया है, तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक

कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के परिणामस्वरूप योग्य घोषित उम्मीदवारों की मुख्य लिखित परीक्षा घोषित नहीं की जाती है।यदि पहले से आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम इस बीच घोषित किया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा जारी किए जा रहे निर्देशों के परिणामस्वरूप शेष उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित होने तक ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में आगे की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी।

(घ) आयोग इसके बाद दोनों मुख्य लिखित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची से साक्षात्कार आयोजित करेगा, अर्थात एक पहले आयोजित की गई और दूसरी जो इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसरण में आयोजित की जाएगी।

(ई) कुछ उम्मीदवार जो मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल हो सकते हैं।ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और वे चयन प्रक्रिया में आगे भाग लेने के हकदार नहीं होंगे।अलग होने से पहले, हम आयोग के कामकाज के संबंध में कुछ टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं।माना जा सकता है कि आयोग संविधान का एक अंग है जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद315 में की गई है।यह हमारे जैसे देश में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां दुनिया में युवा पुरुषों और महिलाओं की सबसे अधिक आबादी है।इन पुरुषों और महिलाओं ने राज्य की प्रांतीय सेवाओं में प्रतिष्ठित पदों पर रोजगार पाने के प्रयास में आधी रात को अपना तेल जलाया होगा।उम्मीदवार के भाग्य के निर्णायक होने के लिए अंक के एक अंश के साथ प्रतियोगिता को काट दिया जाता है।

एक उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए औसतन 48 सेकंड का समय मिला।इस प्रकार, इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में समय प्रबंधन का काफी महत्व था।एक उम्मीदवार जो सभी प्रश्नों का प्रयास करने में सफल होता है-एक लाभप्रद स्थिति में होगा।ऐसे परिदृश्य में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तैयार किए गए प्रश्न स्पष्ट और असंदिग्ध हों और बिना किसी संदेह या भ्रम को स्वीकार करें।आदर्श रूप से, एक और केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए।यदि प्रश्न में कोई संकेत है, तो यह सटीक और प्रासंगिक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए।हालाँकि, जैसा कि निर्णय में देखा गया है, कई प्रश्न गलत तरीके से संरचित थे और उनमें एक से अधिक सही उत्तर थे या उनमें गलत सुराग थे या दिए गए विकल्प सटीक नहीं थे।

प्रश्न पत्रों की स्थापना में आयोग जिस प्रक्रिया का पालन करता है, वह अधिनियम में निहित है। खंड 9 के तहत, परीक्षा नियंत्रक किसी विशेष विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की एक सूची तैयार करता है।इस तरह की सूची को हर तीन साल में संशोधित किया जाता है।पेपर सेटर, मॉडरेटर और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति उक्त सूची में शामिल व्यक्तियों में से की जाती है।खंड 10 में परिकल्पना की गई है कि तीन अलग-अलग पेपर सेटर होंगे जो एक ही स्थान के नहीं होंगे।वे तीन अलग-अलग पेपर तैयार करेंगे।इसके बाद मध्यस्थ तीनों प्रश्न पत्रों को मॉडरेट करेंगे, उन्हें अपनी मुहर के नीचे अलग-अलग कवर में रखेंगे और उसके बाद परीक्षा नियंत्रक सीलबंद कवर को खोले बिना

किसी विषय के मॉडरेट किए गए प्रश्न पत्रों में से किसी एक का चयन करेंगे और इसे मुद्रण के लिए प्रेस को भेजेंगे।

.....हम पाते हैं कि भर्ती के हर चरण में विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक बहुत ही विस्तृत और विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।इस प्रकार, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां क्यों आई हैं।यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि अभ्यास कहाँ गलत हुआ है।क्या आयोग चयन के संचालन में अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाह था या विशेषज्ञों का चयन गलत था?अधिनियम की खंड 9 (4) में प्रावधान है कि पेपर सेटर्स, मध्यस्थों और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से नियुक्त न किया जाए जो किसी विश्वविद्यालय या सरकारी निकाय द्वारा दोषी पाया जाए या जिसके खिलाफ कदाचार के आरोपों पर जांच लंबित हो या जिसकी ईमानदारी पर संदेह हो।इसमें आगे विचार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका प्रमुख परीक्षक, पेपर सेटर या मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम असंतोषजनक पाया जाता है, उसे उस उद्देश्य के लिए फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा।मनीष उज्जवल और अन्य

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

(ऊपर) उच्चतम न्यायालय ने गलत प्रमुख उत्तर प्रदान करने में पेपर सेटर्स के आकस्मिक दृष्टिकोण की निंदा की है और आगे कहा है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।हालाँकि, हम पूर्ण तथ्यों और आंकड़ों के उपलब्ध की अनुपस्थिति में कारण इस संबंध में कोई भी निर्देश जारी करने से दूर रहना हैं, लेकिन हम इस पूरी उम्मीद के साथ भाग लेते हैं कि आयोग संविधान द्वारा उसे दी गई जिम्मेदारियों को निभाएगा।यह इस तरह के चयन के साथ-साथ विशेषज्ञों के चयन में भी सावधान और सतर्क रहेगा।आयोग द्वारा हमारे समक्ष रखी गई सामग्री से पता चलता है कि विशेषज्ञों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक जिम्मेदारियों की प्रकृति को देखते हुए एक मामूली राशि है और इस प्रकार, हम आयोग को उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव देते हैं ताकि सर्वोत्तम प्रतिभा उपलब्ध हो और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।"

(24) इस स्तर पर यह भी अभिलेख करना आवश्यक होगा कि उपरोक्त चर्चा किए गए मामलों के अलावा निम्नलिखित मामलों पर भी मेरे द्वारा विचार किया गया है, लेकिन उन पर चर्चा नहीं की जा रही है क्योंकि या तो उनका निर्णय केवल तथ्यों पर किया गया था या वे विद्या सम्बन्धी परीक्षाओं से संबंधित थे या क्योंकि इस मुद्दे में गलत प्रश्न/उत्तर शामिल नहीं थेः-

i) महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेश कुमार सेठ 16

(ii) डॉ. मुनीब-उल-रहमान हारून और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर सरकार 17

iii) कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाम डॉ. अनिंद्य कुमार दास और अन्य 18

iv) बिस्मया मोहंती और अन्य बनाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 19

v) जम्मू-कश्मीर राज्य बोर्ड के अध्यक्ष बनाम फियाज़ अहमदमलिक 20

16 1984 आकाशवाणी 1543 17 (1984) 4 एस.सी.सी. 24

18 1992 एससीसी ऑनलाइन कैल। 68 19 1996 आई. ओ. एल. आर. 134

vi) केरल राज्य बनाम फातिमा सीथी 21

vii) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा और अन्य 22

viii) मृदुल धर (माइनर) और दूसरा बनाम यूओआई और अन्य 23

ix) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उड़ीसा और दूसरा बनाम डी. शुभंकर और अन्य 24

x) सचिव, डब्ल्यू. बी. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास और अन्य 25

xi) पंकज शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य 26

xii) साहित्य और अन्य बनाम कुलाधिपति, डॉ. एनटीआर विश्वविद्यालय।स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य 27

xiii) विरेन्द्र शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 28

xiv) संचित बंसल और एक अन्य बनाम संयुक्त प्रवेश बोर्ड और अन्य 29

xv) गुंजन सिन्हा जैन बनाम महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय 30

xvi) मोनिका गोयल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 31

(25) एक आदर्श प्रणाली में स्पष्ट रूप से प्रश्नों/उत्तरों में कोई गलती नहीं होगी और कोई भी उम्मीदवार ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा या

20 (2000) 3 उच्चतम न्यायालय के मामले 59

21 2002 एससीसी ऑनलाइन केर 580

22 (2004) 13 एससीसी 383

23 (2005) 2 एससीसी 65

24 (2007) 1 एस.सी.सी. 603

25 (2007) 8 एससीसी 242

26 (2008) 4 एस.सी.सी. 273

27 (2009) 1 एस.सी.सी. 599

28 2010 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 8403

29 (2012) 1 उच्चतम न्यायालय के मामले 157

30 188 (2012) डीएलटी 627 (डीबी)

31 2017(3) एससीटी 283

इस अंक पर पूर्वाग्रह।लेकिन तथ्य यह है कि ये गलतियाँ दूर नहीं हो रही हैं।कानपुर विश्वविद्यालय के मामले (ऊपर) में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आम तौर पर पेपर सेटर द्वारा प्रस्तुत और विश्वविद्यालय द्वारा सही के रूप में स्वीकार की गई उत्तर कुंजी को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे प्राप्त करने का एक तरीका उत्तर कुंजी को प्रकाशित नहीं करना होगा, लेकिन उस स्थिति में उपचार बीमारी से भी बदतर होता।यह पारदर्शिता की पहली लहर थी जो अब बाढ़ में बदल गई है और अपारदर्शिता के बांध को नीचे ला रही है।कानपुर विश्वविद्यालय मामला (ऊपर) और अभिजीत सेन मामला (ऊपर) दोनों जो वर्ष 1982 के लिए संयुक्त प्री-मेडिकल टेस्ट की प्रवेश परीक्षा से संबंधित थे, 1983 में तय किए गए थे।कानपुर विश्वविद्यालय मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा के परिणाम के साथ प्रमुख उत्तरों को प्रकाशित करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई की सराहना की और फिर कहा कि उत्तर कुंजी को सही माना जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई उत्तर स्पष्ट रूप से गलत साबित हुआ तो छात्रों को दंडित करना अनुचित होगा।अगला मामला

अभिजीत सेन (उपरोक्त) का था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब किसी उम्मीदवार द्वारा दिया गया उत्तर सही पाया जाता है और मुख्य उत्तर गलत पाया जाता है, तो उम्मीदवार को उस उत्तर के लिए निर्धारित पूर्ण अंक प्राप्त करने चाहिए और यदि उस जोड़ के आधार पर वह प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो उसे प्रवेश दिया जाना चाहिए।फिर 20 साल बाद, मनीष उज्जवल मामले (उपरोक्त) में, जो वर्ष 2005 के लिए चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा से संबंधित था और उसी वर्ष तय किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि परीक्षा निकाय को प्रश्न निर्धारित करने और उत्तर कुंजी तैयार करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी और एक आकस्मिक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां गलत और स्पष्ट रूप से गलत प्रमुख उत्तरों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने पड़ सकते हैं।गुरु नानक देव विश्वविद्यालय मामले (उपरोक्त) में, जो वर्ष 2005 के लिए पंजाब चिकित्सा प्रवेश परीक्षा से संबंधित था और उसी वर्ष तय किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर-सेटर्स पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश जारी करने में उच्च न्यायालय की कार्रवाई को मंजूरी दी।अगले पाँच वर्षों के बाद, 2010 में, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग मामले (उपरोक्त) में, जो वर्ष 2005 के लिए सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की प्रवेश परीक्षा से संबंधित था और वर्ष 2010 में तय किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आम तौर पर न्यायालय के लिए परीक्षक/चयन बोर्ड का कार्य लेना और प्रश्न पत्रों और उनके मूल्यांकन में

विसंगतियों और विसंगतियों की जांच करना अनुमेय नहीं है।मनोज कुमार के मामले में (ऊपर) वर्ष 2011 के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रवेश परीक्षा, जिसमें निश्चित संख्या में उम्मीदवार मुख्य परीक्षामें भाग लेंगे।

पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 4-1-2012 के निर्णय द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को दूसरे विशेषज्ञ समूह की राय के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का नए सिरे से मूल्यांकन करने की अनुमति दी।जितेंद्र कुमार मामले (उपरोक्त) में वर्ष 2011 के लिए एच. सी.एस. (कार्यकारी शाखा) के लिए प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रवेश परीक्षा और इस न्यायालय ने 30.08.2012 पर निर्णय दिया कि उत्तर कुंजी प्रकाशित करना और फिर कुछ निर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिनिधित्व के लिए बुलाना परीक्षा निकाय का दायित्व होगा।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभ्यावेदन पेपर-सेटर्स को नहीं बल्कि स्वतंत्र विशेषज्ञों को भेजे जाने चाहिए।अंततः, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य लिखित परीक्षा, जो 2.9.2012 के लिए तय की गई थी, स्थगित कर दी जाएगी ताकि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर फिर से काम किया जा सके।राजेश कुमार मामले (उपरोक्त) में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 2268 पदों के लिए चयन से संबंधित प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन 14.08.2006 पर किया गया था।पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने परीक्षा रद्द कर दी।खण्ड पीठ ने

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को संशोधित किया और कहा कि केवल एक विषय में नए सिरे से परीक्षा की आवश्यकता है।खण्ड पीठ ने आगे कहा कि विवादित चयन के आधार पर नियुक्त लोगों को नए परिणाम के प्रकाशन तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनमें से कोई भी जो नई परीक्षा के आधार पर ग्रेड बनाने में विफल रहा, उसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.03.2013 के फैसले के माध्यम से कहा कि यदि परिणाम गलत कुंजी के आवेदन से दूषित हो जाता है, तो उसके आधार पर की गई किसी भी नियुक्ति को भी अस्थिर कर दिया जाएगा।अदालत ने आगे कहा कि जो उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन के बाद ग्रेड नहीं बनाते हैं, उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन पहले चयन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे होगा और आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं पर उन उम्मीदवारों को शामिल करने का दायित्व नहीं था, जिन्हें गलत उत्तर कुंजी से लाभ हुआ था। विकास प्रताप सिंह मामले (उपरोक्त) में, जो 2013 में तय किया गया था, वर्ष 2006 के लिए सूबेदार, प्लाटून कमांडर और सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रवेश परीक्षा और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल करना है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की टिप्पणी/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा और सूची में

सबसे नीचे रखा जाएगा और जो उम्मीदवार नियुक्ति के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु को पार कर चुके हैं, उन्हें स्थाई आयु छूट के साथ समायोजित किया जाएगा।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

स्थायी आयु छूट।लतिका शर्मा मामले (ऊपर) में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 19-3-2015 के निर्णय के माध्यम से उत्तर कुंजी प्रकाशित करने में प्रतिवादी की कार्रवाई को मंजूरी दी, आपत्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें विशेषज्ञों को आपत्तियों की जांच करने की आवश्यकता थी और उसके बाद परीक्षकों को विशेषज्ञों की राय के आलोक में पेपर की जांच करने के लिए कहा गया था।सुभम दत्त मामले में (उपरोक्त) सी. एल. ए. टी.-2015 की परीक्षा से संबंधित प्रवेश परीक्षा पर निर्णय 2–7–2015 कोलिया गया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञ पैनल/समिति को उम्मीदवारों की योग्यता सूची को फिर से तैयार करने और/या संशोधित करने के लिए प्रभावी निर्णय लेने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया, यदि आवश्यक हो, पुनर्मूल्यांकन और/या मूल्यांकन के बाद, यदि आवश्यक हो, या ऐसे परिणाम/योग्यता सूची को उत्तीर्ण या घोषित करें।अतुल कुमार वर्मा मामले (ऊपर) में वर्ष 2015 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई. आई. टी.) में प्रवेश से संबंधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-7-2015 के फैसले के माध्यम से एक खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया

था कि उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया को एक अंतहीन अभ्यास नहीं बनाया जा सकता है और अंततः टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ 32 के निर्णय के आधार पर आयोजित किया जाता है कि एक बार उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाती है और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं और उसके बाद उत्तर कुंजी को सही किया जाता है और परिणाम घोषित किया जाता है, न्यायिक समीक्षा की कोई और गुंजाइश नहीं है।सुमित कुमार मामले (उपरोक्त) में दिल्ली न्यायिक (प्रारंभिक) परीक्षा-2015 को चुनौती दी गई थी।दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ दिनांक 9-5-2016 के फैसले के माध्यम से अंततः चार विवादित प्रश्नों को हटाने और अंकों की फिर से गणना करने का निर्देश दिया, लेकिन निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करेगा कि जिन उम्मीदवारों का चयन मूल उत्तर कुंजी के अनुसार किया गया था, उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा।सुनील कुमार सिंह मामले (उपरोक्त) में संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवाओं (सामान्य/विशेष भर्ती)-2016 की प्रारंभिक लिखित परीक्षा को चुनौती दी गई थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 09.12.2016 पर निर्णय दिया कि वे उम्मीदवार जो पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप विफल हो जाएंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई मामलों का निर्णय उनके अपने तथ्यों पर किया गया था, फिर भी पिछले 35 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित प्रश्नों/उत्तरों में की गई गलतियों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों को पूरा करने के लिए एक जैविक न्यायशास्त्र विकसित हुआ है।न्यायालयों का उद्देश्य एक ऐसा

समाधान तंत्र विकसित करना रहा है जो प्रणाली को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाता है और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विभिन्न साधन विकसित किए हैं जैसे कि 32 (1994) 6 एस. सी.सी.

उत्तर कुंजीका प्रकाशन, सीमित समय सीमा के भीतर आपत्तियों को आमंत्रित करना और स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों द्वारा उन पर विचार करना।हालांकि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और यही कारण है कि इस तरह की मुकदमेबाजी अभी भी व्यवस्था पर बोझ डाल रही है।

(26) एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह है मूल विशेषज्ञों की भूमिका जो पेपर सेट करते हैं।यहां तक कि कानपुर विश्वविद्यालय मामले (उपरोक्त) में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आम तौर पर पेपर सेटर द्वारा प्रस्तुत और विश्वविद्यालय द्वारा सही के रूप में स्वीकार किए गए प्रमुख उत्तर को तब तक माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए।हालांकि, जितेंद्र कुमार मामले (उपरोक्त) में इस अदालत ने कहा कि आपत्तियों को मूल पेपर सेटर को नहीं बल्कि स्वतंत्र विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिए।मेरी राय में, मूल पेपर सेटर को किसी भी प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा उसके प्रश्नों/उत्तरों का मूल्यांकन किया जा रहा है और उसे कर्तव्य के साथ-साथ आपत्तियों का जवाब देने का अधिकार है और उस प्रतिक्रिया को स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी भेजा जाना चाहिए।वास्तव में इस

न्यायालय द्वारा आयोजित न्यायिक सेवाओं के लिए ऐसी ही एक परीक्षा में, एक विशेष प्रश्न के संबंध में आपत्ति दायर की गई थी और उसके समर्थन में प्रिवी काउंसिल के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था।इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया।हालाँकि, बाद में यह पता चला कि सर्वोच्च न्यायालय का एक बाद का निर्णय था जिसने इस क्षेत्र को संभाला।उस प्रकरण के बाद इस न्यायालय ने एक प्रक्रिया शुरू की जिसके तहत उत्तर कुंजी पर सभी आपत्तियों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया और सभी उम्मीदवारों को उस पर क्रॉस आपत्तियां दायर करने का अवसर दिया गया।मेरे विचार से, ये दो नए उपकरण समाधान तंत्र को पवित्र बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।एक अन्य पहलू जिसे उच्चतम न्यायालय ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय मामले (उपरोक्त) में उजागर किया था, वह था 'संपूर्ण भ्रम और गड़बड़ी' के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का मुद्दा।इसके लिए प्रत्येक जाँच निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

(27) संक्षेप में कहें तोः-i) यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्राप्त आपत्तियों को भी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर क्रॉस आपत्तियां आमंत्रित की जाएं।यह आवश्यक है क्योंकि जिस तरह विरोध करने वालों को यह दिखाने का अधिकार है कि निर्धारित प्रश्न या उत्तर कैसे और क्यों गलत है, उसी तरह जिन छात्रों ने उत्तर कुंजी के अनुसार इसका उत्तर दिया है, उन्हें यह दिखाने का अधिकार है कि निर्धारित प्रश्न/उत्तर सही है।

(ii) यह मूल पेपर-सेटर/ओं का कर्तव्य होना चाहिए कि वे उसी समय अवधि के भीतर आपत्तियों का जवाब दें और फिर आपत्तियों, क्रॉस-आपत्तियों और पेपर-सेटर/ओं के जवाब को एक स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिए जिन्हें आपत्तियों से निपटना है।

iii) परीक्षा निकायों को प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी में अनुमत स्तर की गलतियों को निर्धारित करना चाहिए और उन परीक्षकों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जो निर्धारित स्तर की गलतियों का उल्लंघन करते हैं।

(28) एक बार इन सुरक्षा उपायों को प्रतिस्पर्धी परीक्षणों (विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाले) की प्रणाली में शामिल करने के बाद यह इस विवाद समाधान प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने में आगे बढ़ेगा क्योंकि प्रश्नों/उत्तरों की शुद्धता और किसी भी उपचारात्मक उपाय के मुद्दे पर सभी संबंधित लोगों के विचार होने के बाद निर्णय लिया जाएगा, इस प्रकार मनमानेपन या सुनवाई की कमी के किसी भी आरोप को दूर किया जाएगा।

वर्तमान मामले पर आते हैं:-

(29) प्रतिवादी को अब सभी परीक्षार्थियों को एक ई-मेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि विशेषज्ञों द्वारा

स्वीकार की गई आपत्तियों को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और आगे परस्पर आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।मूल पेपर-सेटर्स को भी आपत्तियों का जवाब देना होगा।इसके बाद पूरी सामग्री को स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक अलग समूह को भेजा जाएगा जो तब प्रश्नों/उत्तरों की शुद्धता और किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर अपनी राय देंगे और उसके बाद संशोधित परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।मैंने देखा है कि इस मामले में परिणाम तीन महीने में घोषित किया गया था।हालांकि, वर्तमान प्रक्रिया को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर पूरा करना होगा।मुझे सूचित किया गया है कि इसी तरह की परीक्षा जून, 2017 में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम की प्रतीक्षा है।इस आदेश के पिछले पृष्ठ पर (i) और (ii) के रूप में क्रमांकित वस्तुओं में विस्तृत इस अभ्यास को उस परीक्षा के लिए भी आयोजित करना होगा।गलतियों के अनुमेय स्तर के निर्धारण और उन परीक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रकृति के बारे में निर्देश जो गलतियों के निर्धारित स्तर का उल्लंघन करते हैं, भविष्य की परीक्षाओं के लिए लागू होंगे।

(30) ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्होंने मूल परिणाम के आधार पर अध्येतावृत्ति/व्याख्यान प्राप्त किया होगा और जो अब संशोधित परिणाम के अनुसार कटौती नहीं कर रहे होंगे।

प्रतिवादीके वकील ने तर्क दिया है कि ऐसे परीक्षकों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्होंने जो भी लाभ प्राप्त किया है, उसे प्रतिवादी की गलती के कारण नहीं लिया जाना चाहिए।दूसरी ओर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अनुदान की संख्या सीमित है और निर्धारण के लिए चयन केवल इस परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित है।इस प्रकार एक बार जब परिणाम संशोधित हो जाता है और याचिकाकर्ता या कोई अन्य परीक्षक अनुदान के लिए विचार के हकदार पाए जाते हैं तो उनके लिए कोई रिक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ व्यक्ति/व्यक्ति जिनके कम अंक थे या जो अब कट नहीं कर सकते थे, वे पदों पर आसीन हो सकते हैं।विभिन्न निर्णयों में न्यायालयों ने इस पहलू पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जिन छात्रों ने इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उन्नयन किया होगा, उन्हें उनके उन्नयन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है और उन सभी उम्मीदवारों को भी संरक्षित किया है जिन्होंने बाद में इस आधार पर एक गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया हो सकता है कि उन्हें परीक्षा निकाय की गलती के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है।मनोज कुमार मामले (ऊपर), राजेश कुमार मामले (ऊपर) और विकास प्रताप सिंह मामले (ऊपर) के फैसलों का संदर्भ दिया जा सकता है।यह भी याद रखना चाहिए कि इस परीक्षा को लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया है, पहला; निश्चित संख्या में उम्मीदवार जो अनुदान के लिए पात्र हो जाते हैं और दूसरा; वे और कुछ अन्य भी विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों आदि में प्राध्यापक पद/नौकरियों के लिए विचार किए जाने के योग्य हैं। जहाँ तक प्राध्यापक पद आदि के पद

का संबंध है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से वे विचार के योग्य हो जाते हैं और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन अनुदान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है।यह ऐसा मामला नहीं है जहां अनुदान की संख्या कुछ वैधानिक तंत्र जैसे मेडिकल कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों में सीटों द्वारा तय की जाती है।इन परिस्थितियों में, एकमात्र न्यायसंगत राहत जो दी जा सकती है, वह यह है कि प्रतिवादी को इस वर्ष के लिए इतनी संख्या में अतिरिक्त अनुदानबनानी होंगी जो उन व्यक्तियों को समायोजित करेंगी जो अब इसके लिए हकदार हो सकते हैं, जबकि उन लोगों की रक्षा करते हुए जिन्हें अन्यथा उनके लिए रास्ता बनाना पड़ा होगा।

(31) याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(32) चूंकि मुख्य मामले का फैसला हो चुका है, इसलिए लंबित नागरिक विविध आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

डॉ. सुमती जुंद

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

कमल शर्मा